

लेखे एक नज़र में 2021-22

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय

विषय सूची

| | |
|--|-----|
| भूमिका | 1 |
| विहंगावलोकन | 2 |
| बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण | 8 |
| वित्तीय विवरण | 12 |
| प्राप्तियां | 15 |
| व्यय | 19 |
| ऋण और अन्य देयताएं | 23 |
| विनियोग लेखे | 30 |
| शब्दावली | 34 |
| परिशिष्ट | 40 |
| 1. दस वर्षीय सारांश | 42 |
| 2. करेतर राजस्व | 44 |
| 3. वाणिज्यिक प्राप्तियां | 46 |
| 4. 2021-22 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं | 47 |
| 5. वर्ष 2021-22 में मुख्य मदों पर व्यय | 49 |
| 6. वर्ष 2021-22 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय | 52 |
| 7. सहायिकियों का विवरण (2021-22) | 59 |
| 8. मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2021-22 | 61 |
| 9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा | 82 |
| 10. वर्ष 2021-22 के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग | 84 |
| 11. 2021-22 के लिए विनियोग लेखा सारांश | 91 |
| 12. वर्ष 2021-22 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय | 100 |

लेखे एक नज़र में 2021–22

भूमिका

‘लेखे एक नज़र में’ संघ सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के अनुमान और वास्तविक राशियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं, बचतों और आरक्षित राशियों, निवेशों, विनिवेशों, ऋण और घाटे जैसी वित्तीय सूचना का वृहत विहंगावलोकन पाठक—सुलभ रूप में संक्षिप्त विश्लेषण और ग्राफों द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित ब्योरे—वार वित्तीय सूचना वित्त लेखे और विनियोग लेखे में उपलब्ध कराई जाती है।

महालेखा नियंत्रक संघ सरकार के लेखों के समेकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिनमें संघ के वित्त और विनियोग लेखे शामिल होते हैं, उन्हें संसद के समक्ष उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ वित्त लेखों में भारत सरकार के सिविल और गैर—सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेन—देन और शेष समेकित होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे और लोक ऋण एवं अन्य देयताओं तथा सरकारी लेखे में कुछ परिसम्पत्तियों से प्राप्तियों एवं निर्गमों के संघ सरकार के वार्षिक लेखे शामिल होते हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) में सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन (6 विनियोग और 91 अनुदान) शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 में, व्यय किए जाने से पूर्व विनियोगों को संसद द्वारा पारित किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, विभिन्न मांगों के अंतर्गत संसद द्वारा यथा अनुमोदित विनियोगों का संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सूचित करने के लिए विनियोग लेखे तैयार किए जाते हैं। अनुदानों की मूल मांगों और अंतिम विनियोग तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) होने पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। रक्षा (रक्षा मंत्रालय के दो सिविल अनुदानों को छोड़कर), रेलवे, डाक के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा

वर्ष 2021-22 के दौरान सकल प्राप्तियां ₹ 37,93,800 करोड़ थी। सकल कर प्राप्ति ₹ 27,09,315 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 8,98,391 करोड़ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹ 18,04,794 करोड़ था। कुल ऋणेतार प्राप्तियां ₹ 22,09,281 करोड़ थी, जिनमें राजकोषीय घाटे के रूप में ₹ 15,84,519 करोड़ का अंतर था जिसे 2021-22 के दौरान उधारों के माध्यम से पूरा किया गया है।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹ 37,93,800 करोड़ था, जिसमें से, राजस्व व्यय ₹ 32,00,926 करोड़ (84%) और पूंजीगत व्यय ₹ 5,92,874 करोड़ (16%) था। वर्ष 2020-2021 में व्यय ₹ 35,09,836 करोड़ से 8% बढ़ गया था।


वित्तीय विशेषताएं 2021-22

(₹ करोड़)

| | विवरण | संशोधित अनुमान' 2021-22 | वास्तविक 2021-22 | वास्तविक 2020-21 | वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि |
|----|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | 20,78,936 | 21,69,906 | 16,33,919 | 33% |
| 2 | कर राजस्व (केन्द्र को निवल) | 17,65,145 | 18,04,794 | 14,26,287 | 27% |
| 3 | करेतार राजस्व | 3,13,791 | 3,65,112 | 2,07,632 | 76% |
| 4 | पूंजीगत प्राप्तियां | 99,975 | 39,375 | 57,626 | -32% |
| 5 | कर्जों की वसूलियां | 21,975 | 24,737 | 19,729 | 25% |
| 6 | अन्य प्राप्तियां | 78,000 | 14,638 | 37,897 | -61% |
| 7 | कुल प्राप्तियां (1+4) | 21,78,911 | 22,09,281 | 16,91,545 | 31 |
| 8 | राजस्व व्यय | 31,67,289 | 32,00,926 | 30,83,519 | 4% |
| 9 | जिनमें से ब्याज अदायगियां | 8,13,791 | 8,05,499 | 6,79,869 | 18% |
| 10 | जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान | 2,37,685 | 2,42,646 | 2,22,391 | 9% |
| 11 | पूंजीगत व्यय | 6,02,711 | 5,92,874 | 4,26,317 | 39% |
| 12 | कुल व्यय (8+11) | 37,70,000 | 37,93,800 | 35,09,836 | 8% |
| 13 | राजस्व घाटा (8-1) | 10,88,352 | 10,31,020 | 14,49,600 | -29% |
| 14 | प्रभावी राजस्व घाटा (13-10) | 8,50,667 | 7,88,374 | 12,27,209 | -36 |
| 15 | राजकोषीय घाटा (12-7) | 15,91,089 | 15,84,519 | 18,18,291 | -13% |
| 16 | प्राथमिक घाटा (15-9) | 7,77,298 | 7,79,020 | 11,38,422 | -31% |


- * 1. बजट दस्तावेज के अनुसार संशोधित अनुमान।
2. तुलना के लिए 2021-22 वास्तविक बजट दस्तावेज के अनुसार निवल किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार की सकल प्राप्तियां ₹ 10,33,424 करोड़ (2012-13) से बढ़कर ₹ 27,09,315 करोड़ (2021-22) हो गई हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष (2021-22) के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 11.45% था। पिछले दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 10.59% और करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.49% रहा। करेतर राजस्व वर्ष (2012-13) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.36% से बढ़कर वर्ष (2021-22) में 1.54% हो गया।



पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष के 15.62% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 13.53% था। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.51% था। 2012-2022 के दशक के दौरान, राजस्व व्यय का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 12.09% और पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.81% था। साथ ही, 2021-22 में, अंतिम अनुदान में प्रदान किया गया सकल पूंजीगत व्यय (स्वीकृत+प्रभारित) ₹ 78,18,819 करोड़ था। वास्तविक सकल व्यय ₹ 73,33,007 करोड़ था, जिससे ₹ 4,85,812 करोड़ की बचत हुई।


भारत सरकार का व्यय



* वर्ष 2021-22 का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर ₹ 236.65 लाख करोड़ है जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपने 31 मई 2022 के प्रेस नोट द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्र सरकार की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 58% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं जिससे ₹ 15,84,519 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष का राजस्व घाटा ₹ 10,31,020 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का 6.70% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.36% था।

भारत सरकार का घाटा



सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

वर्षवार सकल घरेलू उत्पाद मूल्य वर्ष 2012–2013 में ₹ 101.13 लाख करोड़ से वर्ष 2021–2022 में दो गुना बढ़कर ₹ 236.65 लाख करोड़ हो गए।

| वर्ष | *सकल घरेलू उत्पाद (₹ लाख करोड़ में) |
|-----------|-------------------------------------|
| 2012–2013 | 101.13 |
| 2013–2014 | 113.55 |
| 2014–2015 | 126.54 |
| 2015–2016 | 135.76 |
| 2016–2017 | 151.84 |
| 2017–2018 | 167.73 |
| 2018–2019 | 190.10 |
| 2019–2020 | 203.40 |
| 2020–2021 | 197.46 |
| 2021–2022 | 236.65 |

* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जारी अनंतिम अनुमान।

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 15,84,519 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से (i) ₹ 13,89,530 करोड़ के आंतरिक ऋण (ii) ₹ 36,147 करोड़ के बाहरी ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाए गए संसाधन के घाटे से कम होने के कारण नकदी शेष में ₹ 2,543 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2021-22 के अंत में नकदी शेष राशि ₹ 2,404 करोड़ थी।

घाटे का वित्तपोषण

(₹ करोड़)

| विवरण | 2021-22 | | 2020-21 | |
|------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| आंतरिक ऋण | 13,89,530 | 88% | 17,51,072 | 96% |
| बाजार ऋण | 7,32,581 | 46% | 10,18,810 | 56% |
| कोषागार बिल | 77,438 | 5% | 2,83,205 | 15% |
| मुआवजा और अन्य बांड | 12,737 | 1% | 19,680 | 1% |
| अन्य | 5,66,774 | 36% | 4,29,377 | 24% |
| परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण | 36,147 | 2% | 70,181 | 4% |
| रोकड़ आहरण द्वारा कमी | 2,543 | 0% | -7,188 | 0% |
| लोक लेखा | 1,56,299 | 10% | 4,226 | 0% |
| कुल वित्तपोषण | 15,84,519 | 100% | 18,18,291 | 100% |

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹ 82,49,151 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और ₹ 66,45,468 करोड़ के पिछले ऋण का निपटान किया। इसका निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹ 16,03,683 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.03.2022 को बकाया ऋण का कुल स्टॉक ₹ 1,19,01,697 करोड़ था। वर्ष 2021-2022 के अंत में ब्याज वाले कुल दायित्व ₹ 1,27,51,989 करोड़ थे, और कुल देनदारियाँ ₹ 1,29,22,908 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन

(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2022 | वृद्धि/कमी |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| ऋण* | 1,02,98,014 | 82,49,151 | 66,45,468 | 1,19,01,697 | 16,03,683 |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि** | 7,14,415 | 15,84,727 | 16,97,696 | 6,01,446 | -1,12,969 |
| ब्याज वाली अन्य देयताएं | 2,15,479 | 98,120 | 64,753 | 2,48,846 | 33,367 |
| बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं | 1,18,469 | 9,35,845 | 8,83,395 | 1,70,919 | 52,450 |
| कुल ऋण और अन्य देयताएं | 1,13,46,377 | 1,08,67,843 | 92,91,312 | 1,29,22,908 | 15,76,531 |


प्राप्तियों और व्ययों, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹ 4,39,354 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹ 6,58,334 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹ 1,21,20,677 करोड़ होती।

** 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार लघु बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹ 12,24,452 करोड़ है। इसमें से ₹ 41,144 करोड़ संचित घाटा है, ₹ 3,90,930 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में, ₹ 85,570 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और पोलिफ निवेश से संबंधित ₹ 1,05,363 करोड़ का निवेश निजी प्रबंधकों के पास किया गया और इस प्रकार इस लेखे में ₹ 6,01,446 करोड़ की देयता बकाया है।

पिछले 10 वर्षों में, लोक ऋण (वर्तमान मूल्य पर) जोकि वर्ष 2012–13 में ₹ 40,96,570 करोड़ था, वह वर्ष 2021–22 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹ 1,21,20,677 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लोक ऋण (वर्तमान मूल्य पर), जोकि वर्ष 2012–13 में सकल उत्पाद का 40.51% था, वह 2021–22 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 51.22% हो गया। वर्ष 2021–22 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 48.44% और बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य पर) सकल घरेलू उत्पाद का 2.78% था।

भारत सरकार का ऋण



निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2021–22 के दौरान, सरकार ने ₹ 22,09,281 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का निवल) का राजस्व प्राप्त किया और ₹ 80,73,064 करोड़ का ऋण उठाया। इस प्रकार, भारत की समेकित निधि में प्राप्त कुल निधियां, ₹ 1,02,82,345 करोड़ थीं। इसमें से, ₹ 66,45,468 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹ 37,95,719 करोड़ सरकार के चालू कार्याकलापों पर व्यय किए गए। भारत की समेकित निधि से कुल ₹ 1,04,41,187 करोड़ का व्यय हुआ। भारत की समेकित निधि में व्यय की तुलना अधिक प्राप्तियों के साथ-साथ लोक लेखों में निवल प्राप्तियों के कारण नकद शेष में ₹ 2,543 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़)

| | स्रोत | | | अनुप्रयोग | |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | 2021-22 | 2020-21 | | 2021-22 | 2020-21 |
| राजस्व | 22,09,281 | 16,91,545 | व्यय | 37,95,719 | 35,09,836 |
| कर | 18,04,794 | 14,26,287 | राजस्व | 32,00,926 | 30,83,519 |
| करेतर | 3,65,112 | 2,07,632 | जिसमें से ब्याज अदायगी | 8,05,499 | 6,79,869 |
| ऋणोत्तर पूंजी | 39,375 | 57,626 | पूंजीगत | 5,94,793 | 4,26,317 |
| अन्य स्रोत | 82,31,906 | 80,02,926 | अन्य अनुप्रयोग | 66,45,468 | 61,84,635 |
| नया ऋण | 80,73,064 | 80,05,888 | ऋण की पुनर्दायगी | 66,45,468 | 61,84,635 |
| आंतरिक | 79,99,216 | 79,00,992 | आंतरिक | 66,09,686 | 61,49,920 |
| बाह्य | 73,848 | 1,04,896 | बाह्य | 35,782 | 34,715 |
| रोकड़ आहरण द्वारा कमी | 2,543 | -7,188 | | | |
| लोक लेखा | 1,56,299 | 4,226 | | | |
| कुल | 1,04,41,187 | 96,94,471 | कुल | 1,04,41,187 | 96,94,471 |

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वर्ष 2021-22 के दौरान कर प्राप्तियों और करेतर प्राप्तियों में क्रमशः 27% और 76% की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कुल प्राप्तियों में 31% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल सरकारी व्यय में 8% की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय में भी 4% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 39% की वृद्धि हुई।

बजट की तुलना में वास्तविक राशियों का विश्लेषण

प्राप्तियां

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व ₹ 18,04,794 करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 102.25% था और गैर-कर राजस्व (₹ 3,65,112 करोड़) संशोधित अनुमान का 116.36% था। कुल राजस्व प्राप्तियां (₹ 21,69,906 करोड़) संशोधित अनुमानों का 104.38% थी।

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 39,375 करोड़) में विनिवेश प्राप्तियों और कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां शामिल होती हैं, ये संशोधित अनुमानों का 39.38% थी। इस प्रकार सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां ₹ 22,09,281 करोड़ थीं जो कि वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय (₹ 37,95,719 करोड़) से राजकोषीय घाटे के रूप में ₹ 15,84,519 करोड़ कम थीं। 'ऋण वित्तीयन' से पूरे किए गए घाटे का संघटक संशोधित अनुमान का 99.59% था। वर्ष के दौरान सरकार की कुल ऋण प्राप्तियां ₹ 15,81,976 करोड़ थीं जो संशोधित अनुमानों का 111.65% थीं। नकद आहरण द्वारा ₹ 1,74,187 करोड़ के अनुमान की तुलना में सरकार की आरक्षित नकदी में ₹ 2,543 करोड़ की कमी आई।

प्राप्तियां 2021-22

(₹ करोड़)

| | | संशोधित अनुमान (2021-22) | वास्तविक (2021-22) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2020-21) |
|---|---|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | | | | |
| | कर राजस्व | 25,16,059 | 27,09,315 | 107.68 | 20,27,104 |
| | सकल कर राजस्व | 5,70,000 | 5,91,226 | 103.72 | 4,56,334 |
| | केंद्रीय माल और सेवा कर | 0 | 2,119 | - | 7,252 |
| | एकीकृत माल और सेवा कर | 1,05,000 | 1,04,769 | 99.78 | 85,192 |
| | जीएसटी मुआवजा उपकर | 6,35,000 | 7,12,037 | 112.13 | 4,57,719 |
| | निगम कर | 6,15,000 | 6,96,243 | 113.21 | 4,87,143 |
| | आय पर कर | 0 | 11 | - | 11 |
| | धन कर | 1,89,000 | 1,99,728 | 105.68 | 1,34,750 |
| | सीमा शुल्क | 3,94,000 | 3,90,808 | 99.19 | 3,89,667 |
| | संघ उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर | 1,000 | 1,012 | 101.20 | 1,615 |
| | सेवा कर | 7,059 | 7,197 | 101.95 | 4,776 |
| | घटाएं - राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी | 6,130 | 6,130 | 100.00 | 5,820 |

| | | संशोधित अनुमान (2021-22) | वास्तविक (2021-22) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % में | वास्तविक राशि (2020-21) |
|----------|--|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| | घटाएं- राज्यों का भाग | 7,44,785 | 8,98,391 | 120.62 | 5,94,997 |
| | 1(क) केन्द्र का निवल कर राजस्व | 17,65,144 | 18,04,794 | 102.25 | 14,26,287 |
| 2 | करेतर राजस्व | | | | |
| | ब्याज प्राप्तियां | 20,894 | 21,874 | 104.69 | 17,113 |
| | लाभांश और लाभ | 1,47,353 | 1,60,647 | 109.02 | 96,878 |
| | बाह्य अनुदान | 1,345 | 1,306 | 97.10 | 1,752 |
| | अन्य करेतर राजस्व | 1,41,668 | 1,79,540 | 126.73 | 90,291 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां | 2,531 | 1,745 | 68.94 | 1,598 |
| | कुल करेतर राजस्व | 3,13,791 | 3,65,112 | 116.36 | 2,07,632 |
| | कुल राजस्व प्राप्तियां I (1क+2) | 20,78,936 | 21,69,906 | 104.38 | 16,33,919 |
| 3 | पूंजीगत प्राप्तियां | | | | |
| क | ऋणेतर प्राप्तियां | | | | |
| | कर्जों और अग्रिमों की वसूलियां @ | 21,975 | 24,737 | 112.57 | 19,729 |
| | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 78,000 | 14,638 | 18.77 | 37,897 |
| | कुल | 99,975 | 39,375 | 39.38 | 57,626 |
| ख | ऋण प्राप्तियां* | | | | |
| | उधारी | 8,75,771 | 8,14,567 | 93.01 | 12,39,738 |
| | लघु बचतों पर जारी प्रतिभूतियां | 5,91,524 | 5,51,269 | 93.19 | 4,83,733 |
| | राज्य भविष्य निधि (निवल) | 20,000 | 10,317 | 51.58 | 18,514 |
| | अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखे) | -90,140 | 1,69,677 | -188.24 | 13,313 |
| | बाह्य ऋण | 19,746 | 36,147 | 183.06 | 70,181 |
| | कुल | 14,16,902 | 15,81,976 | 111.65 | 18,25,479 |
| | कुल पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख) | 15,16,877 | 16,21,351 | 106.89 | 18,83,105 |
| 4 | भारत की आस्मिकता निधि | | 0 | - | |
| | भारत की आस्मिकता निधि के लिए विनियोग | | 29,500 | - | |
| | अंतरण की तुलना में निवल | | -29,500 | - | |
| 5 | नकद शेष की आहरण द्वारा कमी | 1,74,187 | 2,543 | 1.46 | -7,188 |
| | कुल प्राप्तियां (1क+2+3+4+5) | 37,70,000 | 37,93,800 | 100.63 | 35,09,836 |
| | राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+5) | 15,91,089 | 15,84,519 | 99.59 | 18,18,291 |
| | एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल) | 0 | 0 | 0 | 0 |

@ इसमें से ₹ 212 करोड़ की राज्यों से लघु-उगाही ऋण एवं अग्रिमों, सरकारी कर्मचारियों से ऋणों आदि की वसूलियां शामिल नहीं है।

*ये प्राप्तियां पुर्नअदायगी का निवल है

व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹ 37,93,800 करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों का 100.63% था। राजस्व व्यय संशोधित अनुमानों का 101.06% था, जबकि पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमानों का 98.37% था। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदानों पर व्यय संशोधित अनुमानों का 104.80% था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण पर व्यय संशोधित अनुमानों का 105.65% था।

सहायिकियों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि राजस्व खंड में अन्य सभी व्यय संशोधित अनुमानों से कुछ भिन्न रहे। पूंजीगत खंड में, ऋण एवं अग्रिम पर व्यय भी संशोधित अनुमानों से अधिक रहा, जबकि शेष संघटकों में संशोधित अनुमानों से कमी आई।

व्यय 2021-22

(₹ करोड़)

| | | संशोधित अनुमान (2021-22) | वास्तविक (2021-22) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % | वास्तविक राशि (2020-21) |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| क | राजस्व व्यय | | | | |
| 1 | ब्याज अदायगियां और प्रीपेमेंट प्रीमियम | 8,13,791 | 8,05,499 | 98.98 | 6,79,869 |
| 2 | रक्षा सेवा | 2,29,567 | 2,28,559 | 99.55 | 2,05,789 |
| 3 | सहायिकियां | 4,87,872 | 5,02,225 | 102.54 | 7,54,936 |
| 4 | राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान | 5,87,918 | 6,16,141 | 104.80 | 5,76,881 |
| 5 | पेंशन | 1,98,962 | 1,98,946 | 99.99 | 2,08,473 |
| 6 | पुलिस | 1,00,276 | 98,284 | 98.01 | 86,793 |
| 7 | राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता | 6,130 | 6,130 | 100.00 | 5,820 |
| 8 | अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि) | 1,18,223 | 98,495 | 83.31 | 47,237 |
| 9 | सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि) | 2,15,968 | 2,41,224 | 111.69 | 1,53,723 |
| 10 | आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि) | 3,75,683 | 3,71,775 | 98.96 | 3,32,293 |

| | | संशोधित अनुमान (2021-22) | वास्तविक (2021-22) | संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राशि % | वास्तविक राशि (2020-21) |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| 11 | डाक घाटा | 17,988 | 18,861 | 104.85 | 17,695 |
| 12 | बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय | 14,439 | 15,256 | 105.66 | 12,085 |
| 13 | राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि | -6,130 | -6,130 | 100.00 | 5,820 |
| 14 | विदेशी सरकारों को अनुदान | 6,604 | 5,661 | 85.72 | 7,745 |
| | कुल राजस्व व्यय | 30,11,142 | 32,00,926 | 101.06 | 30,83,519 |
| ख | पूंजीगत व्यय | | | | |
| 1 | सामान्य सेवाएं | 1,54,060 | 1,53,376 | 99.82 | 1,42,091 |
| | जिनमें से रक्षा सेवाएं | 1,38,851 | 1,37,987 | 99.38 | 1,34,510 |
| 2 | समाज सेवाएं | 10,230 | 9,445 | 92.33 | 7,798 |
| 3 | आर्थिक सेवाएं | 3,77,688 | 3,67,697 | 97.35 | 1,75,404 |
| 4 | ऋण और अग्रिम | 55,253 | 58,376 | 105.64 | 1,06,916 |
| | जिसमें से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज | 20,819 | 22,535 | 108.25 | 14,971 |
| | जिसमें से विदेश सरकारों को कर्ज | 481 | 443 | 92.27 | 250 |
| | जिसमें से पीएसयू को कर्ज सहित अन्य कर्ज | 33,953 | 35,397 | 104.25 | 91,695 |
| 5 | बिना विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का व्यय | 5,480 | 3,580 | 65.32 | 4,954 |
| | कुल पूंजीगत व्यय | 4,39,163 | 5,92,874 | 98.37 | 4,39,163 |
| ग | आकस्मिकता निधि | | 0 | - | |
| | आकस्मिकता निधि को अंतरण | | 29,500 | - | |
| | निवल | | -29,500 | - | |
| | कुल पूंजीगत व्यय (क+ख+ग) | 37,70,000 | 37,93,800 | 100.63 | 34,50,305 |

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़)

| | | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च, 2021 |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | देयताएं | 1,29,52,908 | 1,13,47,943 |
| क. | लोक ऋण | 1,19,01,697 | 1,02,98,015 |
| | 1. आंतरिक ऋण | 1,14,62,343 | 99,09,543 |
| | 2. बाह्य ऋण | 4,39,354 | 38,84,72 |
| ख. | आकस्मिकता निधि | 30,000 | 500 |
| ग. | लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल) | 10,21,211 | 10,49,428 |
| | 1. आरक्षित निधियां | 83,200 | 41,047 |
| | 2. जमा और अग्रिम | 3,36,566 | 2,92,901 |
| | 3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | 6,01,445 | 7,15,480 |
| | परिसम्पत्तियां | 1,29,52,908 | 1,13,47,943 |
| क. | रोकड़ और रोकड़ समकक्ष | 37,756 | 2,37,519 |
| | 1. रोकड़ शेष | 2,404 | 4,947 |
| | 2. अल्पावधि रोकड़ निवेश | 35,352 | 2,32,572 |
| ख. | अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 18,79,522 | 15,19,974 |
| | 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश | 11,15,829 | 9,61,580 |
| | 2. कर्ज तथा अग्रिम | 7,63,693 | 5,58,394 |
| | क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 4,92,213 | 3,13,511 |
| | ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 2,71,480 | 2,44,883 |
| ग. | उचंत और विविध | -64,741 | -1,47,464 |
| घ. | संचित घाटा* | 1,11,00,371 | 97,37,914 |

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2021-22) – सकल आंकड़े

* पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण

(₹ करोड़)

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|--|------------------|------------------|
| प्राप्तियां | | |
| राजस्व लेखा | 24,36,422 | 18,64,513 |
| कर राजस्व | 18,10,924 | 14,32,107 |
| करेतर राजस्व | 6,24,192 | 4,30,655 |
| सहायता अनुदान | 1,306 | 1,751 |
| अन्य प्राप्तियां | 14,638 | 37,897 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश | 2,936 | 1,725 |
| अन्य | 11,702 | 36,172 |
| कुल प्राप्तियां | 24,51,060 | 19,02,410 |
| व्यय | | |
| राजस्व लेखा | 34,68,189 | 33,14,852 |
| सामान्य सेवाएं | 14,82,119 | 12,96,967 |
| सामाजिक सेवाएं | 2,66,367 | 1,71,271 |
| आर्थिक सेवाएं | 10,97,901 | 12,61,988 |
| सहायता अनुदान | 6,21,802 | 5,84,626 |
| पूंजीगत लेखा | 3,35,084 | 2,37,986 |
| सामान्य सेवाएं | 1,54,053 | 1,42,949 |
| सामाजिक सेवाएं | 10,099 | 7,611 |
| आर्थिक सेवाएं | 1,70,932 | 87,426 |
| विविध | 9,352 | 6,081 |
| कुल व्यय | 38,12,625 | 35,58,919 |
| पूर्व अवधि समायोजन | 892 | 373 |
| घाटा* | 13,62,457 | 16,56,882 |

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2021-22) – सकल आंकड़े

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचयी घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण


(₹ करोड़)

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| प्राप्तियां | 1,39,92,111 | 1,29,44,122 |
| भारत की समेकित निधि | 1,07,54,659 | 1,00,95,243 |
| कर राजस्व | 18,10,924 | 14,32,107 |
| करेतर राजस्व | 6,24,192 | 4,30,655 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 1,306 | 1,751 |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 14,638 | 37,897 |
| लोक ऋण | 82,49,151 | 81,62,910 |
| कर्ज तथा अग्रिम | 24,948 | 29,923 |
| भारत की आकस्मिकता निधि | 29,500 | 0 |
| लोक लेखा | 32,37,452 | 28,48,879 |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि | 15,84,727 | 16,60,979 |
| आरक्षित निधियां | 6,32,680 | 5,52,258 |
| जमा तथा अग्रिम | 7,62,036 | 5,52,367 |
| उचंत और विविध | 2,56,659 | 58,594 |
| प्रेषण | 1,350 | 24,681 |
| संवितरण | 1,39,94,654 | 1,29,36,934 |
| भारत की समेकित निधि | 1,09,13,502 | 1,00,92,281 |
| सामान्य सेवाएं | 14,82,119 | 12,96,967 |
| सामाजिक सेवाएं | 2,66,367 | 1,71,271 |
| आर्थिक सेवाएं | 10,97,901 | 12,61,988 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 6,21,802 | 5,84,626 |
| पूंजीगत परिव्यय | 5,38,140 | 3,42,949 |
| ऋण की पुनर्दायगी | 66,45,468 | 61,84,635 |
| कर्ज तथा अग्रिम | 2,32,205 | 2,49,845 |
| भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण | 29,500 | 0 |
| लोक लेखा | 30,81,152 | 28,44,653 |
| अल्प बचतें, भविष्य निधि | 16,97,696 | 15,20,380 |
| आरक्षित निधियां | 5,90,527 | 5,47,714 |
| जमा तथा अग्रिम | 7,19,833 | 5,26,685 |
| उचंत और विविध | 53,564 | 2,47,596 |
| प्रेषण | 19,532 | 2,278 |
| संवितरणों पर प्राप्तियां | -2,543 | 7,188 |
| प्रारंभिक रोकड़ शेष* | 4,947 | -2,241 |
| अंतिम रोकड़ शेष | 2,404 | 4,947 |

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2021-22) – सकल आंकड़े

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग लगभग 82% है। शेष राजस्व करेतर राजस्व (16%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (2%) से आया। निगम कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत हैं, जोकि कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों के लगभग 85% हैं। निगम कर (20%), वस्तु एवं सेवा कर (15%), आय कर (19%), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (16%), सीमा शुल्क (6%), वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर (5%), लाभांश (7%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (2%) ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों का मुख्य भाग हैं।



वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां (राज्यों को करों का निवल अंतरण) ₹ 22,09,281 करोड़ थी। कर राजस्व में 27% की वृद्धि होकर यह ₹ 14,26,287 करोड़ से ₹ 18,04,794 करोड़ हो गया, जबकि करेतर राजस्व में 76% की वृद्धि होकर यह ₹ 2,07,632 करोड़ से ₹ 3,65,112 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में 32% की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में समग्र रूप से 31% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार की ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों की वजह से ₹ 24,737 करोड़ की राशि शामिल है।

ऋणोत्तर प्राप्तियां

(₹ करोड़)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वृद्धि |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|
| कर राजस्व | 18,04,794 | 14,26,287 | 27% |
| करेतर राजस्व | 3,65,112 | 2,07,632 | 76% |
| ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां | 39,375 | 57,626 | -32% |
| कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां | 22,09,281 | 16,91,545 | 31% |

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केन्द्र को निवल) वर्ष 2020-21 में ₹ 14,26,287 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 18,04,794 करोड़ हो गया। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर में 30% की वृद्धि और आयकर में 43% की वृद्धि हुई जबकि निगम कर में 56% की वृद्धि और सीमा शुल्क में 48% की वृद्धि हुई।

कर राजस्व

(₹ करोड़)

| | विवरण | 2021-22 | | | 2020-21 | | | सकल कर में वर्ष प्रति वृद्धि |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | सकल | राज्यों को हस्तांतरित | निवल | सकल | राज्यों को हस्तांतरित | निवल | |
| 1. | वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | | |
| क | केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 5,91,226 | 2,52,842 | 3,38,384 | 4,56,334 | 1,76,451 | 2,79,883 | 30% |
| ख | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | 2,119 | - | 2,119 | 7,252 | | 7,252 | -71% |
| ग | वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूरक उपकर | | | | 85,192 | - | 85,192 | 23% |
| | | 1,04,769 | - | 10,4769 | | | | |
| 2 | निगम कर | 7,12,037 | 2,68,385 | 44,3652 | 4,57,719 | 1,79,716 | 2,78,003 | 56% |
| 3 | आय कर | 6,73,100 | 2,63,206 | 4,09,894 | 4,70,391 | 1,84,271 | 2,86,120 | 43% |
| 4 | ब्याज कर | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 68% |
| 5 | अनुषंगी हितलाभ कर | -55 | - | -55 | -182 | - | -182 | -70% |
| 6 | व्यय कर | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | -46% |
| 7 | धन कर | 11 | 58 | -47 | 11 | 0 | 11 | 1% |
| 8 | प्रतिभूति लेनदेन कर | 23,191 | - | 23,191 | 16,927 | - | 16,927 | 37% |
| 9 | सीमा शुल्क | 1,99,728 | 65,079 | 13,4649 | 1,34,750 | 31,529 | 1,03,221 | 48% |
| 10 | संघ उत्पाद शुल्क | 3,90,808 | 35,967 | 35,4841 | 3,89,667 | 19,973 | 3,69,694 | 0-29% |
| 11 | सेवा कर | | | | 1,615 | 2,620 | -1,005 | -37% |
| 12 | अन्य कर तथा माल एवं सेवा पर शुल्क | 1,012 | 11,945 | -10,933 | 2,081 | 437 | 1644 | 84% |
| | | 3,836 | 907 | 2,929 | | | | |
| 12 | अन्य कर | 329 | - | 329 | 564 | - | 564 | &42% |
| 13 | संघ राज्य क्षेत्रों को कर | 7,197 | - | 7,197 | 4,776 | - | 4776 | 51% |
| 14 | एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार | | | | | | | |
| | | &6,130 | - | &6,130 | &5,820 | - | &5,820 | 5% |
| | कुल | 27,03,185 | 8,98,391 | 1,804,794 | 20,21,284 | 5,94,997 | 14,26,287 | 34% |

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी शुल्क/प्रभार के रूप में उपार्जित होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जो कि वर्ष 2020-21 में ₹ 2,07,632 करोड़ था। वह वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 3,65,112 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹ 1,57,480 करोड़ की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%) |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | ब्याज प्राप्तियां | 21,874 | 17,113 | 28% |
| 2. | लाभांश और लाभ | 1,60,647 | 96,878 | 66% |
| 3. | संघ राज्य क्षेत्रों का गैर-कर राजस्व | 1,745 | 1,598 | 9% |
| 4. | अन्य करेतर राजस्व | 1,80,846 | 92,043 | 96% |
| | कुल करेतर राजस्व | 3,65,112 | 2,07,632 | 76% |

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों पर प्रोदभूत होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 14% है। सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (5%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹ 46,177 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹ 13,363 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों में प्राप्तियों में वृद्धि हुई जबकि अन्यो में कमी आई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | स्रोत | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 6,552 | 6,317 | 7,696 | 7,403 |
| 2. | विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम | 1,534 | 1,374 | 1,410 | 1,397 |
| 3. | सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम | 2,088 | 1,695 | 889 | 2,439 |
| 4. | अन्य | 36,003 | 50,154 | 46,969 | 15,927 |
| | कुल | 46,177 | 59,540 | 56,964 | 27,166 |

लाभांश

सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश बढ़कर ₹ 63,764 करोड़ हो गया, जो कि वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 96,889 करोड़ था, वर्ष 2021–22 में ₹ 1,60,653 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभांश में अत्यधिक वृद्धि हुई है यह 66% से भी अधिक हो गया, जबकि अन्य क्षेत्रों से लाभांश में थोड़ी कमी आई है।

लाभांश – मुख्य स्रोत

(₹ करोड़)

| क्र. सं. | मुख्य स्रोत | 2021–22 | 2020–21 | 2019–20 | 2018–19 |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम | 59,120 | 39,497 | 35,509 | 46,495 |
| 2. | भारतीय जीवन बीमा निगम | — | — | 2,261 | 2,376 |
| 3. | राष्ट्रीयकृत बैंक | 2231 | — | 108 | 1826 |
| 4. | भारतीय रिजर्व बैंक | 99,122 | 57,128 | 68,000 | 40,659 |
| 5. | अन्य | 180 | 264 | 9 | 11 |

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश भी शामिल है। वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से ₹ 2,936 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण ₹ 5,496 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़)

| क्र. सं. | स्रोत | 2021–22 | 2020–21 | 2019–20 | 2018–19 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश | 2,936 | 1,725 | 9,010 | 4,449 |
| 2. | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम | 5,496 | 27,996 | 39,224 | 68,171 |
| 3. | अन्य पूंजीगत प्राप्तियां | 6,206 | 8,176 | 2,070 | 22,107 |
| | कुल | 14,638 | 37,897 | 50,304 | 94,727 |

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार का कुल व्यय ₹ 37,93,800 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,83,964 करोड़ (8%) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹ 32,00,926 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,17,407 करोड़ (4%) की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹ 5,92,874 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,66,597 करोड़ (39%) की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 16% था। राजस्व व्यय में वृद्धि सहायिकियों के अधिक वितरण के कारण हुई जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि ऋण एवं अग्रिम के अधिक वितरण के कारण हुई।

व्यय

(₹ करोड़)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वर्षवार वृद्धि |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| राजस्व | 32,00,926 | 30,83,519 | 3.81% |
| सामान्य सेवाएं | 14,33,410 | 12,30,357 | 17% |
| सामाजिक सेवाएं | 2,60,237 | 1,65,451 | 57% |
| आर्थिक सेवाएं | 8,85,477 | 11,03,084 | -20% |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 6,21,802 | 5,84,627 | 6% |
| पूंजीगत | 5,92,874 | 4,26,317 | 39% |
| सामान्य सेवाएं | 1,54,053 | 1,42,949 | 8% |
| सामाजिक सेवाएं | 10,099 | 7,611 | 33% |
| आर्थिक सेवाएं | 3,70,346 | 1,65,266 | 124% |
| कर्ज एवं अग्रिम | 58,376 | 1,10,491 | -47% |
| आकस्मिक व्यय | 0 | - | - |
| आकस्मिक व्यय को अंतरण | 29,500 | - | - |
| निवल | -29,500 | - | - |
| कुल व्यय | 37,93,800 | 35,09,836 | 8% |

क्षेत्रवार व्यय

(₹ करोड़)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वर्षवार वृद्धि |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|
| सामान्य सेवाएं | 15,87,463 | 13,73,306 | 16% |
| सामाजिक सेवाएं | 2,70,336 | 1,73,062 | 56% |
| आर्थिक सेवाएं | 12,55,823 | 12,68,350 | -1% |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 6,21,802 | 5,84,627 | 6% |


| विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वर्षवार वृद्धि |
|----------------|-----------|-----------|----------------|
| कर्ज और अग्रिम | 58,376 | 1,10,491 | -47% |
| कुल व्यय | 37,93,800 | 35,09,836 | 8% |

कुल पूंजीगत व्यय में से ₹ 5,34,498 करोड़ (90%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (10%) के रूप में थे।

| वर्ष | परिसंपत्ति निर्माण | | कर्ज एवं अग्रिम | | कुल |
|---------|--------------------|-----|-----------------|-----|----------|
| 2013-14 | 1,68,478 | 90% | 19,197 | 10% | 1,87,675 |
| 2014-15 | 1,67,463 | 85% | 29,218 | 15% | 1,96,681 |
| 2015-16 | 2,26,685 | 90% | 26,337 | 10% | 2,53,022 |
| 2016-17 | 2,49,472 | 87% | 36,810 | 13% | 2,86,282 |
| 2017-18 | 2,45,112 | 93% | 18,027 | 7% | 2,63,139 |
| 2018-19 | 2,79,493 | 92% | 28,221 | 8% | 3,07,714 |
| 2019-20 | 3,11,851 | 93% | 24,414 | 7% | 3,36,265 |
| 2020-21 | 3,15,826 | 74% | 1,10,491 | 26% | 4,26,317 |
| 2021-22 | 5,34,498 | 90% | 58,376 | 10% | 5,92,874 |

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 15,87,463 करोड़ (कुल व्यय का 42%) इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनो, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹ 2,70,336 करोड़ (कुल व्यय का 7%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹ 12,55,823 करोड़ (कुल व्यय का 33%), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 6,21,802 करोड़ (कुल व्यय का 16%) जारी किए गए। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम के रूप में ₹ 58,376 करोड़ (कुल व्यय का 2%) की राशि दी गई।



सहायिकियां (सब्सिडी)

सहायिकियों पर व्यय जो कि वर्ष 2020-21 में ₹ 7,54,936 करोड़ था वह वर्ष 2021-22 में ₹ 5,02,225 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि हुई। खाद्य उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर सहायिकियां क्रमशः ₹ 2,88,968 करोड़, ₹ 1,53,758 करोड़ तथा ₹ 3,421 करोड़ थीं। खाद्य सहायिकी में पिछले वर्ष से 47% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम सहायिकी में 91% और उर्वरक सहायिकी में 20% की वृद्धि हुई। अन्य मदों के सहायिकी बिल में 15% की वृद्धि हुई।

मुख्य आर्थिक सहायता

(₹ करोड़)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| खाद्य | 2,88,968 | 5,41,330 | -47% |
| उर्वरक | 1,53,758 | 1,27,922 | 20% |
| पेट्रोलियम | 3,421 | 36,755 | -91% |
| अन्य | 56,078 | 48,929 | 15% |
| कुल | 5,02,225 | 7,54,936 | -33% |

ब्याज आर्थिक सहायता 2021-22 में ₹ 39,571 करोड़ थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,885 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹ 21,477 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी और आर्थिक रूप से पिछड़े/निम्न आय समूह वाले के लिए क्रेडिट लिंक सहायिकी स्कीम (₹ 12,000 करोड़) थी अन्य आर्थिक सहायताएं भी वर्ष 2020-21 में ₹ 20,243 करोड़ से कम हो कर वर्ष 2021-22 में ₹ 16,506 करोड़ हो गई।

1. वेतन एवं भत्ते व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

2. आर्थिक सहायताओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

निवल उधार

सरकार उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थान होती हैं। 2021-22 के दौरान, सरकार ने ₹ 2,32,204 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्दायगी के रूप में ₹ 24,948 करोड़ प्राप्त किए। इससे, अग्रिमों की राशि में ₹ 2,07,256 करोड़ की वृद्धि हुई। 2021-22 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ₹ 7,63,693 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार

(₹ करोड़)

| क्र. सं. | विवरण | 01 अप्रैल-21 | वृद्धियां | प्राप्तियां | 31- मार्च-22 | वृद्धि/ कमी |
|----------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. | राज्य सरकारें | 3,09,255 | 1,85,136 | 17,491 | 4,76,900 | 1,67,645 |
| 2. | संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें | 4,256 | 11,134 | 77 | 15,313 | 11,057 |
| 3. | विदेशी सरकारें | 14,456 | 444 | 438 | 14,462 | 6 |
| 4. | सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि | 2,28,245 | 35,323 | 6,848 | 2,56,720 | 28,475 |
| 5. | सरकारी कर्मचारी | 225 | 167 | 94 | 298 | 73 |
| | कुल | 5,56,437 | 2,32,204 | 24,948 | 7,63,693 | 2,07,256 |

निवेश

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹ 1,69,117 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹ 14,11,857 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश

(₹ करोड़)

| क्र.सं. | विवरण | निवेश की गई राशि |
|---------|-----------------------------|------------------|
| 1. | वैधानिक निगम | 11,385 |
| 2. | सरकारी कंपनियां | 7,27,529 |
| 3. | अंतर्राष्ट्रीय निकाय | 1,74,608 |
| 4. | राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक | 4,98,058 |
| 5. | सहकारी समितियां | 277 |
| | कुल | 14,11,857 |


*व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व पर अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखा में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2022 को सरकार की कुल देनदारी ₹ 1,29,22,908 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹ 1,14,62,343 करोड़ (89%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर], ₹ 4,39,354 करोड़ (3%) और अन्य देयताएं ₹ 10,21,211 करोड़ (8%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च 2022 तक, कुल सार्वजनिक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण], ₹ 1,19,01,697 करोड़ था। वर्ष के प्रारंभ में सार्वजनिक ऋण ₹ 1,02,98,014 करोड़ से वर्ष के दौरान 16% बढ़ गया। 31.3.2022 को चालू विनिमय दर पर लोक ऋण ₹ 1,21,20,670 करोड़ था जबकि 31.3.2021 को यह ₹ 1,05,24,371 करोड़ था।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केन्द्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियों भी आंतरिक ऋण का भाग होती है।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि वर्ष के प्रारंभ में ₹ 99,09,542 करोड़ थी जोकि वर्ष के अंत में बढ़कर ₹ 1,14,62,343 करोड़ हो गई। ₹ 8,91,581 करोड़ की वृद्धि होकर वह ₹ 80,26,725 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण

(₹ करोड़)

| स्रोत | 1 अप्रैल, 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2022 | वृद्धि/कमी |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| बाजार कर्ज | 71,35,144 | 13,24,276 | 4,32,695 | 80,26,725 | 8,91,581 |
| अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां | 1,00,301 | 4,386 | 3,358 | 1,01,329 | 1,028 |
| 364 दिन के खजाना बिल | 4,58,240 | 4,07,796 | 4,58,240 | 4,07,796 | -50,444 |
| अर्थोपाय अग्रिम | - | - | - | - | - |
| 14 दिन के खजाना बिल विक्रेय प्रतिभूतियां | 2,05,576 | 44,32,508 | 44,21,318 | 2,16,766 | 11,190 |
| विपणनयोग्य प्रतिभूतियाँ | 33,411 | - | 51 | 33,360 | -51 |
| रा.अ.ब.नि. को को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99) | 64,569 | - | - | 64,569 | - |
| रा.अ.ब.नि. को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99) | 7,86,856 | 5,09,314 | 86,749 | 12,09,422 | 4,22,566 |
| पीएलआई के अंतर्गत शेष राशियों के बदले जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां | 20,894 | 7,000 | 7,000 | 20,894 | - |
| अन्य | 11,04,551 | 14,77,207 | 12,00,275 | 13,81,483 | 2,76,932 |
| कुल आंतरिक ऋण | 99,09,542 | 81,62,487 | 66,09,686 | 1,14,62,343 | 15,52,801 |

बाह्य ऋण

वर्ष 2021-22 के अंत में बाह्य ऋण का स्टॉक (ऐतिहासिक विनिमय दरों पर) ₹ 4,39,354 करोड़ था जो कुल बकाया ऋण का 3.69% होता है। वर्तमान विनिमय दर पर (31.3.2022) की स्थिति के अनुसार यह ₹ 6,58,334 करोड़ है – इसमें 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹ 6,14,828 करोड़ की तुलना में ₹ 43,506 करोड़ की वृद्धि हुई।

बाह्य ऋण

(₹ करोड़)

| स्रोत | ऐतिहासिक विनिमय दरों पर | | | | | वर्तमान मूल्य |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 1 अप्रैल 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च 2022 | वृद्धि / कमी | |
| आई.डी.ए. | 45,177 | 5,804 | 11,337 | 39,644 | -5,533 | 1,57,206 |
| जापान | 1,11,522 | 21,458 | 6,305 | 1,26,675 | 15,153 | 1,48,390 |
| ए.डी.बी. | 93,286 | 21,502 | 6,993 | 1,07,795 | 14,509 | 1,35,231 |
| जर्मनी | 8,941 | 1,210 | 1,896 | 8,255 | -686 | 21,747 |
| आईबीआरडी | 75,878 | 19,306 | 7,468 | 87,716 | 11,838 | 1,13,567 |
| आईएफएडी | 1,916 | 348 | 176 | 2,088 | 172 | 3,749 |
| संयुक्त राज्य अमरीका | (-) 1,149 | 687 | 95 | -557 | 592 | 348 |
| अन्य | 52,901 | 16,349 | 1,512 | 67,738 | 14,837 | 78,096 |
| कुल बाह्य ऋण | 3,88,472 | 86,664 | 35,782 | 4,39,354 | 50,882 | 6,58,334 |

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण

(₹ करोड़)

| स्रोत | मुद्रा | 1 अप्रैल, 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च 2022 | वृद्धियां / कमी |
|-------------|-------------|----------------|-----------|---------|---------------|-----------------|
| एडीबी | अमरीकी डालर | 1,613 | 260 | 94 | 1,779 | 166 |
| जर्मनी | यूरो | 269 | 13 | 22 | 260 | -9 |
| आईबीआरडी | अमरीकी डालर | 1,365 | 229 | 100 | 1,494 | 129 |
| आईडीए | अमरीकी डालर | 308 | 49 | 28 | 329 | 21 |
| आईडीए | एसडीआर | 1,343 | 5 | 87 | 1,261 | -82 |
| जापान | येन | 2,22,546 | 28,036 | 9,572 | 2,41,010 | 18,464 |
| रूसी परिसंघ | ₹ | 453 | .. | 27 | 426 | -27 |
| रूसी परिसंघ | अमरीकी डालर | 202 | 54 | 11 | 245 | 43 |

* ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता विवरण परिशिष्ट-9 पर है

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2022 को लोक लेखे में ₹ 10,21,211 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹ 8,50,292 करोड़ की थी और शेष ₹ 1,70,919 करोड़ की देयताएं बिना ब्याज वाली थीं।

लोक लेखे की देयताएं

(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च 2022 | वृद्धि/कमी |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| अल्प बचत, भविष्य निधि आदि* | **7,14,415 | 15,84,727 | 16,97,696 | 6,01,446 | -1,12,969 |
| अन्य ब्याज वाली | 2,15,479 | 98,120 | 64,753 | 2,48,846 | 33,367 |
| आरक्षित निधि | 17,004 | 50,370 | 54,201 | 13,173 | - 3,831 |
| जमा | **1,98,475 | 47,750 | 10,552 | 2,35,673 | 37,198 |
| अन्य बिना-ब्याज वाली | 1,18,469 | 9,35,845 | 8,83,395 | 1,70,919 | 52,450 |
| आरक्षित निधि | 24,043 | 5,82,311 | 5,36,327 | 70,027 | 45,984 |
| जमा | **94,426 | 3,53,534 | 3,47,068 | 1,00,892 | 6,476 |
| कुल | 10,48,363 | 26,18,692 | 26,45,844 | 10,21,211 | -27,152 |

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय – समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडलों वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण (निवल) ₹ 3,33,197 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेशों पर) और व्यय क्रमशः ₹ 1,76,996 और ₹ 1,39,615 करोड़ था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹ 4,86,627 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष राशि जो कि वर्ष के आरंभ में ₹ 2,13,652 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में घटकर ₹ 97,603 करोड़ हो गई।

* 31 मार्च 2022, स्थिति के अनुसार, अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण केन्द्र सरकार की कुल देयता ₹ 12,24,452 करोड़ है। इसमें से ₹ 41,144 करोड़ संचयी घाटा है, ₹ 3,90,930 करोड़ का निवेश विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में किया गया, ₹ 85,570 करोड़ का निवेश विभिन्न सरकारी उपक्रमों में किया गया और पोलिफ से सम्बंधित ₹ 1,05,363 करोड़ का निवेश निजी फंड मैनेजरों के साथ किया गया जिससे इस लेखे में निवल बकाया देयता ₹ 6,01,446 करोड़ होती है।

** पूर्व अवधि समायोजन/पूर्णांक समायोजन के कारण आरंभिक शेष में अंतर

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

(₹ करोड़)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2021 | वृद्धियां | उन्मोचन | 31 मार्च, 2022 | वृद्धि / कमी |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| अंतर्वाह | 20,87,446 | 12,26,792 | 7,16,599 | 25,97,639 | 5,10,193 |
| संग्रहण | 20,87,446 | 10,49,796 | 7,16,599 | 24,20,643 | 3,33,197 |
| बचत जमा | * 10,58,351 | 8,41,922 | 6,47,735 | 12,52,538 | 1,94,187 |
| बचत प्रमाणपत्र | 2,86,906 | 74,334 | 27,283 | 3,33,957 | 47,051 |
| लोक भविष्य निधि | 7,42,189 | 1,33,540 | 41,581 | 8,34,148 | 91,959 |
| निवेश से आय | | 1,76,996 | — | 1,76,996 | 1,76,996 |
| बहिर्वाह | 18,73,794 | 1,81,515 | 8,07,757 | 25,00,036 | 6,26,242 |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश | 18,73,794 | 1,81,515 | 6,68,142 | 23,60,421 | 4,86,627 |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां | 13,32,651 | 86,748 | 6,38,018 | 18,83,921 | 5,51,270 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 4,15,507 | 53,267 | 28,690 | 3,90,930 | —24,577 |
| अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश | 1,25,636 | 41,500 | 1,434 | 85,570 | —40,066 |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय | | .. | 1,39,615 | 1,39,615 | 1,39,615 |
| शेष | 2,13,652 | 10,45,277 | —91,158 | 97,603 | —1,16,049 |

* पूर्णांकन के कारण पिछले वर्ष से भिन्न

31 मार्च 2022, की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अभिदाताओं के संबंध में, निधि के कुल स्टॉक में ₹ 24,20,643 करोड़ की देयताएं थी, जिनमें से ₹ 12,52,538 करोड़ बचत जमाओं के तहत, ₹ 3,33,957 करोड़ बचत प्रमाण-पत्रों के तहत और ₹ 8,34,148 करोड़ सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2021-22 के अंत में निधियों का निवेश ₹ 23,60,421 करोड़ था, जिसमें से, ₹ 3,90,930 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 18,83,921 करोड़ केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹ 85,570 करोड़ अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करें, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबंध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उसकी शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने के स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाता होता है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था, ₹ 5,91,351 करोड़ थी और ₹ 5,19,399 करोड़ की कुल गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2021-22 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹ 21,800 करोड़ है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 1,813 प्राप्त किए थे, जिसकी तुलना में इस वर्ष ₹ 2,872 करोड़ प्राप्त हुए।

सरकार की गारंटियां

(₹ करोड़)

| | विवरण | 31-मार्च-21 | 31-मार्च-22 | वृद्धियां / कमी |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| I | भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को मूलधन और ब्याज आदि के पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां। | 78,336 | 98,484 | 20,148 |
| II | सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों को शेयर पूंजी के पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश के अदायगी, बांडों/ऋणों की अदायगी आदि के लिए गारंटियां। | 72,919 | 66,514 | -6,405 |
| III | मूलधन की पुनर्अदायगी, ऋण आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति संबंधी करारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां। | 3,46,344 | 3,54,401 | 8,057 |
| IV | कंपनियों/निगमों को आपूर्ति के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्र के लिए बैंकों को प्राप्ति-गारंटियां। | — | — | — |
| V | रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को | — | — | — |
| VI | विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी। | — | — | — |
| VII | कोई अन्य | — | — | — |
| | कुल | 4,97,599 | 5,19,399 | 21,800 |

विनियोग लेखे

वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 97 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 10,733,049 करोड़ करोड़ के कुल प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹ 686,736 करोड़ के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹ 11,419,785 कर दिया गया गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 437,992 करोड़ (4%) अधिक था। इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹ 10,688,282 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹ 7,709,809 करोड़ था जिसमें ₹ 355,876 करोड़ की बचतें शामिल हैं, जबकि स्वीकृत हिस्से के अंतर्गत व्यय ₹ 2,978,473 करोड़ था जिसमें ₹ 375,627 करोड़ की बचतें शामिल हैं।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार)

(₹ करोड़)

| | मूल | अंतिम | अंतर | वास्तविक | अंतर |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | प्रावधान | प्रावधान | | व्यय | |
| | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5)=(4)-(2) |
| प्रभारित | 80,65,522 | 80,65,685 | 163 | 77,09,809 | (-)3,55,876 |
| स्वीकृत | 26,67,527 | 33,54,100 | 6,86,573 | 29,78,473 | (-) 3,75,627 |
| कुल | 1,07,33,049 | 1,14,19,785 | 6,86,736 | 1,06,88,282 | (-)7,31,503 |

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 28: था, शेष 72% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से 'ऋण की पुनर्अदायगी' (₹ 6,645,468 करोड़), ब्याज अदायगी (₹ 828,260 करोड़) और राज्यों को अंतरण (₹ 230,518 करोड़) था। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.93% होते हैं। विनियोग "ऋण की पुनर्अदायगी" में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹ 6,076,449 करोड़ करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व/पूंजीगत भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश में कुल प्रावधानों की तुलना में अधिक व्यय के तीन दृष्टांत थे।

बजट प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

| अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | वास्तविक व्यय | | अधिक व्यय | |
|---------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 6 | उर्वरक विभाग | 157292 | .. | 157785 | .. | 493 | .. |
| 18 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) प्रभारित | 2.22 | 2.25 | .. | 0.03 | .. | .. |
| 39 | पेंशन | 63605 | .. | 64348 | .. | 743 | .. |

बचत

वर्ष 2021-22 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹ 732,739 करोड़ की बचतें हुईं। कुल ₹ 1,236 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचत

| अनुदान/विनियोग | | भाग | बचतें (₹ करोड़) | कारण |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| सं. | विवरण | | | |
| 13 | दूरसंचार विभाग | पूँजीगत स्वीकृत | 24736 | कोविड-19 महामारी के कारण 4जी मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप देने तथा रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क हेतु परियोजना सर्किलों से कम दावे/बिल प्राप्त होने के कारण |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | पूँजीगत स्वीकृत | 50096 | भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त खाद्य सहायिकी की उपलब्धता के कारण |
| 24 | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | राजस्व स्वीकृत | 22062 | माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क), 'पढ़ना लिखना अभियान', जिसका नाम बदलकर एनआईएलपी किए जाने, जोकि लागू नहीं हुआ, की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष और समग्र शिक्षा-आरंभिक इक्वेशन एवं माध्यमिक शिक्षा कोष निधि के अंतरण के प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण। |

| | | | | |
|----|----------------------|------------------|--------|---|
| 25 | उच्चतर शिक्षा विभाग | राजस्व स्वीकृत | 27755 | निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रिया चालू किए जाने के कारण केंद्रीय हिस्से को जारी करने हेतु राज्यों की पात्रता न होने, राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) की लेखांकन पद्धति को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु प्रावधान में कमी किए जाने के कारण। |
| 29 | आर्थिक कार्य विभाग | पूंजीगत स्वीकृत | 54974 | केन्द्रीकृत प्रावधान के स्थान पर ऐसे विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को निधियां आबंटित किए जाने, जो नियमित पूरक अनुदान मांगों के जरिए पूंजीगत व्यय में अच्छी प्रगति दर्शा रहे थे। कम निवेश किए जाने, सोना कम जमा होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यकलाप में कमी होने के कारण पोर्टफोलियों कंपनियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण। |
| 31 | वित्तीय सेवाएं विभाग | पूंजीगत स्वीकृत | 11253 | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कम पुनः पूंजीकरण होने, सरकार के निर्णय के अनुसार एक्सिम बैंक में कम निवेश होने तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से कम दावे प्राप्त होने के कारण |
| 35 | अप्रत्यक्ष कर | राजस्व स्वीकृत | 17116 | कुछ निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कुछ दावे पूरे न करने, समग्र छानबीन न होने के कारण स्क्रिप्ट जारी न किए जाने तथा राशि में संशोधन करके कमी किए जाने और कस्टम्स ऑटोमेशन सिस्टम का उपयोग न होने के कारण |
| 37 | ब्याज अदायगियां | राजस्व प्रभारित | 18936 | स्विच लेनदेनों की कम मात्रा होने, नियमित योजनगत उधार में कमी किए जाने, ऋणों के कम वितरण के साथ-साथ लंदन इंटरबैंक ऑफर दर में कमी किए जाने, कोषागार बिलों को कम मात्रा में जारी किए जाने और सरकारी लेखे में नकदी अधिशेष उपलब्ध होने की वजह से बिलों का इस्तेमाल न होने के कारण |
| 38 | कर्ज की पुनर्दायगी | पूंजीगत प्रभारित | 298683 | सरकारी लेखे में अधिशेष नकदी की उपलब्धता के कारण, अर्थोपाय अग्रिमों और नकदी प्रबंधन बिलों का इस्तेमाल न होने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रतिभूतियों को कम मात्रा में निर्मुक्त किए जाने और स्विच लेनदेनों में कम मात्रा में कार्य संचालन होने तथा प्रतिभूति की अदायगी के लिए नवनिर्मित शीर्ष के प्रावधान के अंतरण की कम मात्रा होने के कारण |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|-------|--|
| 40 | राज्यों को अंतरण | राजस्व प्रभारित | 13408 | नोडल मंत्रालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण |
| | | राजस्व स्वीकृत | 23458 | अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा कम मांग दिए जाने, ऋणों का अनुमोदन एशिया पसिफिक वैक्सीन एक्सेस फेसिलिटी (एपीवीएएक्स) के अंतर्गत होने की वजह से प्रावधान का अंतरण डीबीएस से बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना को अंतरित किए जाने के कारण, राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और और संशोधित प्राक्कलन चरण में गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को विशेष सहायता (राज्य) और सहायता के लिए प्रावधान में कमी किए जाने के कारण |
| | | पूँजीगत प्रभारित | 23867 | सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक से कम प्रस्ताव प्राप्त होने |
| 44 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | राजस्व स्वीकृत | 39365 | कोविड-19 महामारी के कारण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत निधियों का इस्तेमाल नहीं होने, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करने तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण |
| 62 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | राजस्व स्वीकृत | 18546 | कोविड-19 महामारी के कारण स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, उपयुक्त राज्यों के हिस्से जारी किए जाने में विलंब होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने तथा वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार संघ/संघ राज्य क्षेत्र के एस्करो लेखों को निधियां अंतरित किए जाने के कारण |
| 75 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | राजस्व स्वीकृत | 10810 | सामाजिक-आर्थिक कारकों जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य, देश में समष्टि आर्थिक स्थितियां तथा उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता शामिल हैं, के कारण सहायिकी दरों में अंतर होने और कम बिल प्राप्त होने के कारण |
| 85 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | पूँजीगत स्वीकृत | 10649 | राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से मिलने वाली आय की कम मात्रा में प्राप्ति होने के कारण |

₹ 100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

शब्दावली

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151 (1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां 'कार्य का आवंटन नियमावली' के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

सरकार के पास संसद के प्राधिकार के बिना अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि भी रखी जाती है। वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि में वृद्धि होकर यह ₹ 500 करोड़ से ₹ 30,000 करोड़ हो गई है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन-देने) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और
- (ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान में परिवर्तित करना आदि)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसंपत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसंपत्तियों का जीवन समाप्त होने पर उनकी हानियों तथा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रूपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रूपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व लेखे पर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत लेखे पर पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

पूंजीगत प्राप्तियां में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें अचल परिसम्पत्तियों, मशीनरी और उपकरण तथा सरकारी इक्विटी निवेश के अर्जन पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात् ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात् "8680 – विविध सरकार लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य के रूप में जाना जाता है और प्राप्तियां के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियां (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात् मुख्यतः बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्य सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों का अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं – सामान्य और विशेष।

बजट प्रावधान (बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान)

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्ति प्रावधान होता है जिसे सामान्यतरु वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:—

I- भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन, आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्रापतियां को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कर्ज जारी किए जाने सहित अपने कार्य के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6 – स्तरीय सौपानिक ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों (जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर संवैधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं) में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- मुख्य शीर्ष – सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- उप-मुख्य शीर्ष – सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- लघु शीर्ष – सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- उप शीर्ष – स्कीम का द्योतक है।
- ब्योरेवार शीर्ष – उप स्कीम का द्योतक है, और
- वस्तुगत शीर्ष – व्यय के उद्देश्य के लिए (जैसे वेतन, कार्यालय व्यय)

व्यय लेनदेनों को 'योजना' और 'गैर-योजना' अथवा 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II- भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने और साथ हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अलग सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III- भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जाने वाली हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अल्प बचत
- आरक्षित निधियां
- जमा और अग्रिम
- उचंत और विविध
- प्रेषण
- रोकड़ शेष

लेखे एक नज़र में

परिशिष्ट

| | |
|--|-----|
| 1. दस वर्षीय सारांश | 42 |
| 2. करेतर राजस्व | 44 |
| 3. वाणिज्यिक प्राप्तियां | 46 |
| 4. वर्ष 2021-22 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं | 47 |
| 5. वर्ष 2021-22 में मुख्य मदों पर व्यय | 49 |
| 6. वर्ष 2021-22 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय | 52 |
| 7. सहायिकियों का विवरण (2021-22) | 59 |
| 8. मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2021-22 | 61 |
| 9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा | 82 |
| 10. वर्ष 2021-22 के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग | 84 |
| 11. वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखा सारांश | 91 |
| 12. वर्ष 2021-22 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय | 100 |

डरलशलषुड-1
(करुडु रु)

दस वरुषीड सुरुलंश

| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| रलङसुड डुरलतुडलं | 8,79,231 | 10,14,719 | 11,01,381 | 11,95,025 | 13,75,956 | 14,35,078 | 15,53,011 | 16,84,059 | 16,33,919 | 21,69,906 |
| सकल कर रलङसुड | 10,33,424 | 11,34,084 | 12,41,424 | 14,49,958 | 17,09,372 | 19,15,492 | 20,78,665 | 20,07,579 | 20,27,104 | 27,09,315 |
| नलगड कर | 3,56,326 | 3,94,678 | 4,28,925 | 4,53,229 | 4,84,924 | 5,71,202 | 6,63,572 | 5,56,876 | 4,57,719 | 07,12,037 |
| वसुतु और सेवा कर | | | | | | 4,42,561 | 5,81,559 | 5,98,729 | 5,48,778 | 6,98,114 |
| आडकर | 1,96,843 | 2,37,817 | 2,58,325 | 2,80,323 | 3,40,505 | 4,08,091 | 4,61,488 | 4,80,097 | 4,87,143 | 6,96,243 |
| सीडल शुकुक | 1,65,346 | 1,72,085 | 1,88,016 | 2,10,338 | 2,25,370 | 1,29,030 | 1,17,813 | 1,09,283 | 1,34,750 | 1,99,728 |
| केनुद्रीड उतुतुद शुकुक | 1,75,845 | 1,69,455 | 1,89,038 | 2,87,148 | 3,80,495 | 2,58,636 | 2,30,992 | 2,39,452 | 3,89,667 | 3,90,808 |
| सेवल कर | 1,32,601 | 1,54,778 | 1,67,969 | 2,11,414 | 2,54,499 | 81,228 | 6,904 | 6,029 | 1,615 | 1,012 |
| केनुदुर कु नवल कर रलङसुड | 7,41,877 | 8,15,854 | 9,03,615 | 9,43,765 | 11,01,372 | 12,42,487 | 13,17,211 | 13,56,902 | 14,26,287 | 18,04,794 |
| करुतेतर रलङसुड | 1,37,354 | 1,98,865 | 1,97,766 | 2,51,260 | 2,74,584 | 1,92,591 | 2,35,800 | 3,27,157 | 2,07,632 | 3,65,112 |
| डुडलङ डुरलतुडलं | 20,760 | 21,868 | 23,712 | 25,378 | 16,229 | 13,574 | 12,145 | 12,349 | 17,113 | 21,874 |
| ललडुलंश और ललडु | 53,761 | 90,435 | 89,833 | 1,12,127 | 1,23,017 | 91,360 | 1,13,420 | 1,86,133 | 96,878 | 1,60,647 |
| ःरणुतेतर डुडुङुगुत डुरलतुडलं | 40,950 | 41,865 | 51,475 | 62,975 | 65,513 | 1,15,678 | 1,12,684 | 68,620 | 57,626 | 39,375 |
| वलनुवलश आड | 2,761 | 4,231 | 1,415 | 1,249 | 2,921 | 2,802 | 4,449 | 9,010 | 1,725 | 2,936 |
| डुडुडु | 14,10,371 | 15,59,447 | 16,63,673 | 17,90,783 | 19,79,268 | 21,41,818 | 23,15,113 | 26,86,870 | 35,09,836 | 37,93,800 |
| डुडुङुनल डुडुडु | 4,13,627 | 4,53,327 | 4,62,643 | 4,71,083 | 5,68,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुर डुडुङुनल डुडुडु | 9,96,744 | 11,06,120 | 12,01,030 | 14,10,669 | 14,10,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रलङसुड डुडुडु | 12,43,513 | 13,71,772 | 14,66,992 | 15,37,761 | 16,92,986 | 18,78,679 | 20,07,399 | 23,50,605 | 30,83,519 | 32,00,926 |
| डुडुङुगुत डुडुडु | 1,66,858 | 1,87,675 | 1,96,681 | 2,53,022 | 2,86,282 | 2,63,139 | 3,07,714 | 3,36,265 | 4,26,317 | 5,92,874 |
| उधरल ःरणलतुडक डुनरुदलडुडुगु | 5,441 | 6,451 | 15,375 | 5,394 | 19,040 | 11,497 | 24,411 | 26,495 | 2,19,922 | 2,07,256 |
| रलङकुषीड डुडुडु | 4,90,190 | 5,02,863 | 5,10,817 | 5,32,783 | 5,37,799 | 5,91,062 | 6,49,418 | 9,34,191 | 18,18,291 | 15,84,519 |

| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| राजस्व घाटा | 3,64,282 | 3,57,053 | 3,65,611 | 3,42,736 | 3,17,030 | 4,43,601 | 4,54,388 | 6,66,546 | 14,49,600 | 10,31,020 |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 2,48,572 | 2,27,214 | 2,34,851 | 2,11,781 | 1,50,470 | 2,51,081 | 2,63,168 | 4,79,204 | 12,27,209 | 7,88,374 |
| प्रारंभिक घाटा | 1,77,020 | 1,29,296 | 1,08,373 | 91,124 | 57,085 | 62,110 | 66,770 | 3,22,121 | 11,38,422 | 7,79,020 |
| लोक ऋण (शेष) | 40,96,570 | 46,15,250 | 51,04,675 | 57,11,425 | 61,49,817 | 68,46,557 | 75,49,380 | 85,64,884 | 105,24,371 | 121,20,677 |
| आंतरिक ऋण | 37,64,566 | 42,40,767 | 47,38,291 | 53,04,836 | 57,41,709 | 64,01,275 | 70,74,942 | 80,20,490 | 99,09,543 | 114,62,343 |
| बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य) | 3,32,004 | 3,74,483 | 3,66,384 | 4,06,589 | 4,08,108 | 4,45,282 | 4,74,439 | 5,44,394 | 6,14,828 | 6,58,334 |
| भारत सरकार की अन्य देयताएं | 6,10,016 | 6,44,061 | 6,71,010 | 7,11,608 | 7,56,448 | 8,06,929 | 8,82,119 | 8,79,324 | 10,49,428 | 10,21,211 |
| सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) | 1,01,13,281 | 1,13,55,073 | 1,26,53,762 | 1,35,76,000 | 1,51,83,709 | 1,67,73,000 | 1,90,10,000 | 2,03,40,000 | 1,97,46,000 | 2,36,65,000 |
| सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत | | | | | | | | | | |
| राजस्व प्राप्तियां | 8.69 | 8.94 | 8.70 | 8.80 | 9.06 | 8.56 | 8.17 | 8.28 | 8.27 | 9.17 |
| सकल कर राजस्व | 10.22 | 9.99 | 9.81 | 10.68 | 11.26 | 11.42 | 10.93 | 9.87 | 10.27 | 11.45 |
| वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | 2.64 | 3.06 | 2.94 | 2.78 | 2.95 |
| करेतर राजस्व | 1.36 | 1.75 | 1.56 | 1.85 | 1.81 | 1.15 | 1.24 | 1.61 | 1.05 | 1.54 |
| व्यय | 13.95 | 13.73 | 13.15 | 13.19 | 13.04 | 12.77 | 12.18 | 13.21 | 17.77 | 16.04 |
| राजस्व व्यय | 12.30 | 12.08 | 11.59 | 11.33 | 11.15 | 11.20 | 10.56 | 11.56 | 15.62 | 13.53 |
| पूंजीगत व्यय | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 1.86 | 1.89 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 2.16 | 2.51 |
| राजकोषीय घाटा | 4.85 | 4.43 | 4.04 | 3.92 | 3.54 | 3.52 | 3.42 | 4.59 | 9.21 | 6.70 |
| राजस्व घाटा | 3.60 | 3.14 | 2.89 | 2.52 | 2.09 | 2.64 | 2.39 | 3.28 | 7.34 | 4.36 |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 2.46 | 2.00 | 1.86 | 1.56 | 0.99 | 1.50 | 1.38 | 2.36 | 6.21 | 3.33 |
| लोक ऋण | 40.51 | 40.64 | 40.34 | 42.07 | 40.50 | 40.82 | 39.71 | 42.11 | 53.30 | 51.22 |
| आंतरिक ऋण | 37.22 | 37.35 | 37.45 | 39.08 | 37.81 | 38.16 | 37.22 | 39.43 | 50.19 | 48.44 |
| बाह्य ऋण | 3.28 | 3.30 | 2.90 | 2.99 | 2.69 | 2.65 | 2.50 | 2.68 | 3.11 | 2.78 |

परिशिष्ट-2
(₹ करोड़)

करेतर राजस्व

| | विवरण | 2021-22 | | | 2020-21 | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक | % | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक | % |
| क | ब्याज प्राप्तियां सकल घटाएं— बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां ब्याज का अधित्याग | 38,32,592 | 46,163.53 | 120 | 55,391.82 | 59,528.75 | 107 |
| | ब्याज प्राप्तियां निवल | 15,895.70 1,536.22 | 22,753.44 1,536.22 | 143 100 | 40,087.16 1,300.00 | 41,115.35 1,300.00 | 103 100 |
| ख | लामांश और लाम | 20,894.00 | 21,873.87 | 105 | 14,004.66 | 17,113.40 | 122 |
| ग | संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व | 1,47,353.00 | 1,60,646.75 | 109 | 96,543.54 | 96,877.75 | 100 |
| घ | अन्य करेतर राजस्व 1. राजकोषीय राजस्व – अन्य सामान्य सेवाएं घटाएं दृ वाणिज्यिक विभाग घटाएं – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां 2. निवल सामान्य सेवाएं 3. सामाजिक सेवाएं – आर्थिक सेवाएं – सकल घटाएं— वाणिज्यिक विभाग | 2,530.64 1,183.72 36,984.32 19,900.00 1,000.00 16,084.32 3,375.31 1,42,208.07 20,180.60 | 1,744.95 193.26 59,345.52 19,557.76 0.00 39,787.76 4,761.09 1,53,572.97 17,774.38 | 69 16 160 98 0 247 141 108 88 | 2,080.63 589.65 35,366.09 18,100.00 1,000.00 16,266.09 3,145.44 95,355.24 18,754.47 | 1,598.31 1,168.80 29,840.75 15,768.89 0.00 14,071.86 3,790.65 87,341.05 16,081.00 | 77 198 84 87 0 87 121 92 86 |

| विवरण | 2021-22 | | | 2020-21 | | |
|---|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक | % | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक | % |
| घटाएं - ऋण माफी | 996.99 | 996.99 | 100 | | | |
| घटाएं - गेट प्राप्तियां | 5.00 | 3.40 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4. निवल आर्थिक सेवाएं | 1,21,025.48 | 1,34,798.20 | 111 | 76,600.77 | 71,260.05 | 93 |
| निवल कुल - अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4) | 1,41,668.83 | 1,79,540.31 | 127 | 96,601.95 | 90,291.36 | 93 |
| सहायता अनुदान और अंशदान | 1,344.84 | 1,305.96 | 97 | 1,421.75 | 1,751.64 | 123 |
| जोड़ | 3,13,791.31 | 3,65,111.84 | 116 | 2,10,652.53 | 2,07,632.46 | 99 |

2021-22 में मुख्य स्कीमों पर व्यय की उल्लेखनीय विशेषताएं

परिशिष्ट-4
(₹ करोड़)

| क्र.सं. | मंत्रालय | स्कीम | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 1 | कृषि | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएमएम) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) | 4000.00 16000.00 65000.00 36576.50 7000.00 | 2000.00 15989.39 67500.00 34447.14 7400.00 | 1796.12 13549.24 66825.11 32965.06 9269.52 |
| 2 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत कोविड-19 आपातकाल प्रत्युत्तर तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज(चरण II) (डीबीएस) (सीएसएस) | 2900.00 6401.00 0.00 | 2349.73 3200.00 12359.00 | 2126.33 3115.55 14333.35 |
| 3 | आयुष | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) | 553.80 | 500.00 | 458.87 |
| 4 | शिक्षा | समग्र शिक्षा विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 31050.16 11500.00 3000.00 | 30000.00 10233.75 793.26 | 25060.89 10230.98 242.34 |
| 5 | महिला एवं बाल विकास | सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा और बाल कल्याण) समबल सामर्थ्य | 20105.00 900.00 587.00 2522.00 | 19999.55 829.65 258.00 1863.09 | 18381.78 761.09 179.36 1733.03 |
| 6 | आवासन और शहरी कार्य | प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका मेट्रो परियोजनाएं | 8000.00 795.00 18998.00 | 27000.00 795.00 18978.00 | 26963.04 794.19 18978.00 |

अन्य संकेत/संकेत

| क्र.सं. | मंत्रालय | स्कीम | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---------|------------------------------------|--|---|---|--|
| 7 | विद्युत | शहरी सुधार मिशन - अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन | 13750.00 | 13900.00 | 13880.03 |
| 8 | ग्रामीण विकास | स्वच्छ भारत मिशन - शहरी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन / जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमएसकेवाई) ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत | 2300.00 3600.00 73000.00 2000.00 13677.61 9200.00 19500.00 15000.00 50011.00 9994.10 20.10 2505.00 5588.49 4324.48 | 2000.00 3103.29 98000.00 1216.00 11709.61 8730.00 20389.84 14000.00 45011.00 6000.00 2633.50 2453.47 9489.56 4121.96 | 1968.70 4655.23 98467.85 1195.97 9384.20 8152.22 30056.87 13991.65 40123.56 3095.00 1732.11 1844.38 8540.90 3499.17 |
| 9 | स्वच्छता एवं पेयजल | | | | |
| 10 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | | | | |
| 11 | कौशल विकास और उद्यमिता | | | | |
| 12 | जल शक्ति | | | | |
| 13 | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | | | | |

वर्ष 2021-22 में मुख्य मदों पर व्यय

(₹ करोड़)

| मद | प्रकार | सशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
|----------------------------|---------|------------------|----------|
| पेंशन | राजस्व | 198962 | 198946 |
| रक्षा | राजस्व | 229567 | 228559 |
| सहायिकी | पूँजीगत | 138851 | 137987 |
| उर्वरक | राजस्व | 140122 | 153758 |
| खाद्य | राजस्व | 286469 | 288969 |
| पेट्रोलियम | राजस्व | 6517 | 3421 |
| कृषि तथा संबद्ध कार्याकलाप | राजस्व | 145059 | 140661 |
| | पूँजीगत | 2705 | 2657 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | राजस्व | 2022 | 1988 |
| | पूँजीगत | 636 | 666 |
| शिक्षा | राजस्व | 87987 | 80340 |
| | पूँजीगत | 15 | 12 |
| शिक्षा | राजस्व | 30005 | 32630 |
| | पूँजीगत | 18679 | 21068 |
| स्वास्थ्य | राजस्व | 82102 | 80963 |
| | पूँजीगत | 3813 | 3128 |

लेखे एक नजर में

| मद | प्रकार | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ब्याज अदायगी | राजस्व | 813791 | 805499.14 |
| पुलिस | राजस्व पूँजीगत | 101369 7897 | 99414 7209 |
| परिवहन | राजस्व पूँजीगत | 19865 305578 | 34116 298123 |
| सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार | राजस्व पूँजीगत | 22880 5877 | 21373 3680 |
| ग्रामीण विकास | राजस्व पूँजीगत | 206948 0 | 228760 0 |
| राज्यों को अंतरण | राजस्व पूँजीगत | 264578 20816 | 252046 22534 |
| संघ राज्य क्षेत्र | राजस्व पूँजीगत | 52053 5480 | 52911 3580 |
| शहरी विकास | राजस्व पूँजीगत | 47894 25956 | 80894 25946 |
| कर प्रशासन | राजस्व पूँजीगत | 83266 1290 | 65450 898 |

| मद | प्रकार | संशोधित प्राककलन | वास्तविक |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण | राजस्व | 110795 | 110795 |
| वित्त | राजस्व पूंजीगत | 9304 42600 | 13008 44405 |
| वैज्ञानिक विभाग | राजस्व पूंजीगत | 21283 7227 | 20703 7070 |
| समाज कल्याण | राजस्व पूंजीगत | 44755 197 | 40400 195 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | राजस्व पूंजीगत | 42545 3288 | 44119 2949 |
| विदेश मामले | राजस्व पूंजीगत | 14919 1081 | 13277 868 |
| डाक सेवाएं | राजस्व पूंजीगत | 18035 932 | 18861 886 |
| अन्य | राजस्व पूंजीगत | 84197 9793 | 89069 9015 |
| जोड़ | राजस्व पूंजीगत | 3167289 602711 | 3200926 592874 |

वर्ष 2021-22 के लिए वेतन और भत्तों का व्यय

(₹ करोड़)

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | राशि |
|---------------|--|----------|
| 1 | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | 340.46 |
| 2 | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | 5.48 |
| 3 | परमाणु विभाग परमाणु ऊर्जा | 4,461.87 |
| 4 | आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) | 23.60 |
| 5 | रसायन और उर्वरक मंत्रालय | 18.23 |
| 6 | रसायन और पेट्रोरेसायन विभाग | 23.12 |
| 7 | उर्वरक विभाग औषध विभाग | 13.82 |
| 8 | नागर विमानन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय | 164.76 |
| 9 | कोयला मंत्रालय कोयला मंत्रालय | 27.76 |
| 10 | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | 423.02 |
| 11 | वाणिज्य विभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | 293.61 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---------------|---|-------------|
| 12 | संचार मंत्रालय | 17,810.35 |
| 13 | डाक विभाग | 528.39 |
| 14 | दूरसंचार विभाग | 79.44 |
| 15 | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 70.63 |
| | उपभोक्ता मामले विभाग | |
| | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | |
| 16 | कारपोरेट कार्य मंत्रालय | 158.87 |
| | कारपोरेट कार्य मंत्रालय | |
| 17 | संस्कृति मंत्रालय | 434.14 |
| | संस्कृति मंत्रालय | |
| 18 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | 6,063.16 |
| 19 | रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवा राजस्व) | 1,57,893.36 |
| 22 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | 26.16 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | |
| 23 | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 470.92 |
| | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | |
| 24 | शिक्षा मंत्रालय | 27.64 |
| | स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग | |
| 25 | उच्चतर शिक्षा विभाग | 104.81 |
| 26 | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 894.05 |
| | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---------------|--|----------|
| 27 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 271.47 |
| 28 | विदेश मंत्रालय | 2,179.66 |
| 29 | वित्त मंत्रालय | 102.85 |
| 30 | आर्थिक कार्य विभाग | 128.25 |
| 31 | व्यय विभाग | 107.59 |
| 32 | वित्तीय सेवाएं विभाग | 11.15 |
| 33 | निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग | 403.15 |
| 34 | राजस्व विभाग | 4,741.00 |
| 35 | प्रत्यक्ष कर – सीबीडीटी | 5,540.75 |
| 36 | अप्रत्यक्ष कर – सीबीआईसी | 4,401.28 |
| 47 | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग लोक उद्यम विभाग | 9.82 |
| 41 | मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | 54.79 |
| 42 | मत्स्यपालन विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग | 111.06 |
| 43 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 18.31 |
| 44 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | 3,017.24 |
| 45 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 3.95 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | राशि |
|---------------|--|-----------|
| 46 | भारी उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग | 20.16 |
| 48 | गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय | 1,521.90 |
| 49 | मंत्रिमंडल | 138.63 |
| 50 | पुलिस | 78,517.97 |
| 59 | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | 1677.27 |
| 60 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 322.79 |
| 61 | जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | 698.41 |
| 62 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 16.65 |
| 63 | श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय | 396.33 |
| 64 | विधि और न्याय मंत्रालय | 174.67 |
| 65 | निर्वाचन आयोग | 56.46 |
| 66 | भारत का उच्चतम न्यायालय | 268.74 |
| 67 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय | 148.28 |
| 68 | खान मंत्रालय खान मंत्रालय | 821.29 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | राशि |
|---------------|---|--------|
| 69 | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | 22.16 |
| 70 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 25.88 |
| 71 | पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय | 11.38 |
| 72 | संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय | 14.54 |
| 73 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 880.68 |
| 74 | केंद्रीय सतर्कता आयोग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 30.05 |
| 75 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 27.28 |
| 76 | योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय | 64.02 |
| 77 | पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय | 149.81 |
| 78 | विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय | 136.76 |
| 79 | राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय | 40.29 |
| 80 | लोक सभा | 462.31 |
| 81 | राज्य सभा | 256.66 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | राशि |
|---------------|--|-------------|
| 82 | उप-राष्ट्रपति सचिवालय | 4.48 |
| 83 | संघ लोक सेवा आयोग | 125.95 |
| 84 | रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय | 1,20,375.30 |
| 85 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 96.57 |
| 86 | ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग | 47.17 |
| 87 | भू-संसाधन विभाग | 11.14 |
| 88 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 374.40 |
| 89 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 22.40 |
| 90 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 11.33 |
| 91 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | 129.71 |
| 92 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 53.20 |
| 93 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 12.26 |
| 94 | अंतरिक्ष मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग | 2,816.35 |
| 95 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 416.21 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग का नाम | राशि |
|---------------|--|--------------------|
| 96 | इस्पात मंत्रालय | 25.07 |
| 97 | इस्पात मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय | 189.01 |
| 98 | इस्पात मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय | 37.79 |
| 99 | पर्यटन मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय | 22.88 |
| 100 | जनजातीय कार्य मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 38.38 |
| 101 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय | 31.75 |
| 51 | युवा कार्यक्रम और मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले) | 1955.97 |
| 52 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़ | 1,990.17 |
| 53 | दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 422.84 |
| 54 | लद्दाख | 2,529.55 |
| 55 | लक्षद्वीप | 388.91 |
| | जोड़ | 4,30,490.13 |

सहायिकियों का विवरण (2021-22)

| श्रेणी | अनुदान संख्या | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|--|---|--|---|---|--|
| मुख्य सहायिकियां ----- खाद्य सहायिकी | 15 | 2408 | 242836.00 | 286469.11 | 288968.54 |
| उर्वरक सहायिकी | 6 | 2852 | 58767.68 | 75930.32 | 100988.14 |
| क. यूरिया सहायिकी | 6 | 2401 | 20762.00 | 64192.00 | 52769.97 |
| ख. पोषक तत्व संबंधी सहायिकी | 75 | 2802 | 14073.35 | 6516.92 | 3420.63 |
| पेट्रोलियम सहायिकी | | | 14073.35 | 6516.92 | 3420.63 |
| एलपीजी सहायिकी | | | 336439.03 | 433108.35 | 446147.28 |
| कुल मुख्य सहायिकी | | | | | |
| ब्याज सहायिकियां ----- किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए आवास बैंक को सहायिकी वरिष्ठ नागरिकों संबंधी पेंशन योजना के लिए भारतीय बीमा निगम को ब्याज सहायिकी ब्याज समीकरण योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) - के लिए ऋण संबद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)-I मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण संबद्ध सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस)-II प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत ब्याज सहायिकी उच्चतर शिक्षा विभाग में गारंटी निधियों के लिए ब्याज सहायिकी और अशदान ऋण सहायता कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत समुद्रपार के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायिकी क्रेडिट लिफ्ट कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम | 1 31 31 10 59 59 86 25 67 69 67 | 2416, 2552 2885 2235 3453 2216 2216 2216 2202 2851 2235 2851 | 19468.31 0.01 65.00 1900.00 1000.00 0.01 0.01 1900.00 0.04 24.00 315.31 | 18142.30 . 65.00 3151.15 12000.00 0.01 0.01 1500.00 0.08 24.00 170.25 | 21476.93 0.00 65.00 3487.98 12000.00 0.00 0.00 1385.21 0.00 22.15 112.61 |

| श्रेणी | अनुदान संख्या | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|---|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना | 67 | 2851 | 199.66 | 0.04 | 0.00 |
| राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सहायिकी | 78 | 2801 | 200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| कृषि अवसंरचना निधि | 1 | 2401, 2552 | 900.00 | 200.00 | 21.43 |
| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को शिशु ऋण (सबसिडी) के शीघ्र भुगतान के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट पर सब्सिडी | 31 | 2885 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| कुल ब्याज सहायिकियां | | | 26282.35 | 36562.84 | 39571.31 |
| अन्य सहायिकियां ----- | | | | | |
| चीनी के 40 एलएमटी बफर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 600.00 | 700.00 | 607.70 |
| 2018-19 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 200.00 | 123.00 | 122.18 |
| 2019-20 की अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 1000.00 | 2150.00 | 2120.86 |
| कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य सहायता स्कीम (एमआईएस-पीएसएस) परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम | 1 | 2401, 2552 | 1500.50 | 3595.61 | 2288.33 |
| परिवहन/भाड़ा सहायिकी स्कीम | 11 | 2885 | 350.00 | 382.94 | 382.94 |
| मूल्य स्थिरीकरण कोष | 14 | 3456 | 2700.00 | 2250.00 | 2030.83 |
| भारतीय पटसन निगम लिमिटेड को मार्केट ऑपरेशन के लिए सहायिकी | 97 | 2852 | 70.00 | 50.00 | 49.19 |
| मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति | 97 | 2852 | 136.00 | 8439.88 | 8331.96 |
| पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं निवेश संवर्धन नीति | 11 | 2885 | 150.00 | 150.00 | 180.00 |
| जहाज निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहायता | 77 | 2852 | 101.00 | 101.00 | 104.91 |
| जम्मूकश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों हेतु पैकेज | 11 | 2885 | 20.00 | 30.00 | 28.33 |
| चीनी का बफर स्टॉक बनाने तथा उसकी देखरेख हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 50.00 | 65.00 | 96.04 |
| एथनॉल का उत्पाद बढ़ाने एवं उसमें वृद्धि के लिए चीनी संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम | 15 | 2408 | 300.00 | 160.00 | 160.00 |
| निर्यात से संबंधित आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों पर आने वाले व्यय की अदायगी हेतु स्कीम | 15 | 2408 | | 3.20 | 3.10 |
| कुल-अन्य सहायिकियां | | | 7177.50 | 18200.63 | 16506.37 |

मंत्रालयों / विभागों का व्यय 2021-22
(दर्शाए गए आंकड़े और प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|---|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 1 | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण | 118294.24 | 114467.56 |
| | राजस्व | 118257.69 | 114454.67 |
| | पूंजीगत | 36.55 | 12.89 |
| 2 | कृषि अनुसंधान और शिक्षा | 8513.62 | 8368.02 |
| | राजस्व | 8513.62 | 8368.02 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 3 | परमाणु ऊर्जा | 22707.21 | 22613.26 |
| | राजस्व | 8121.16 | 7294.93 |
| | पूंजीगत | 14586.05 | 15318.33 |
| 4 | आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) | 2664.42 | 2359.08 |
| | राजस्व | 2664.42 | 2359.08 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 5 | रसायन और पेट्रो रसायन | 209.00 | 208.18 |
| | राजस्व | 206.83 | 206.01 |
| | पूँजीगत | 2.17 | 2.17 |
| 6 | उर्वरक | 140703.28 | 153805.99 |
| | राजस्व | 140258.70 | 153724.43 |
| | पूँजीगत | 444.58 | 81.56 |
| 7 | औषध निर्माण | 823.11 | 774.83 |
| | राजस्व | 674.99 | 629.74 |
| | पूँजीगत | 148.12 | 145.09 |
| 8 | नागर विमानन | 72652.00 | 71918.13 |
| | राजस्व | 6033.39 | 4991.13 |
| | पूँजीगत | 66618.61 | 66927.00 |
| 9 | कोयला | 644.09 | 573.68 |
| | राजस्व | 644.09 | 573.68 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 10 | वाणिज्य राजस्व पूंजीगत | 7421.00 6554.00 867.00 | 7307.81 6528.05 779.76 |
| 11 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग राजस्व पूंजीगत | 8382.00 6696.42 1685.58 | 8251.95 6566.38 1685.57 |
| 12 | डाक राजस्व पूंजीगत | 18966.87 18034.54 932.33 | 19746.18 18860.63 885.55 |
| 13 | दूरसंचार राजस्व पूंजीगत | 35550.21 30080.04 5470.17 | 31798.38 28470.56 3327.82 |
| 14 | उपभोक्ता मामले राजस्व पूंजीगत | 2453.64 2434.23 19.41 | 2210.51 2191.98 18.53 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण | 302000.00 | 304360.78 |
| | राजस्व | 299363.35 | 301730.38 |
| | पूँजीगत | 2636.65 | 2630.40 |
| 16 | कारपोरेट कार्य | 659.75 | 628.37 |
| | राजस्व | 619.45 | 588.19 |
| | पूँजीगत | 40.30 | 40.18 |
| 17 | संस्कृति | 2665.00 | 2543.76 |
| | राजस्व | 2609.23 | 2504.37 |
| | पूँजीगत | 55.77 | 39.39 |
| 18 | रक्षा (विविध) | 17587.41 | 17335.13 |
| | राजस्व | 10659.37 | 10535.84 |
| | पूँजीगत | 6928.04 | 6799.29 |
| 19 | रक्षा सेवाएं (राजस्व) | 229567.23 | 228558.93 |
| | राजस्व | 229567.23 | 228558.93 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 20 | रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 138850.90 | 137986.97 |
| | राजस्व पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 21 | रक्षा पेंशन | 138850.90 | 137986.97 |
| | राजस्व पूंजीगत | 116878.00 | 116799.85 |
| 22 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | 116878.00 | 116799.85 |
| | राजस्व पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 23 | पृथ्वी विज्ञान | 2658.00 | 2653.44 |
| | राजस्व पूंजीगत | 2021.51 | 1987.55 |
| 24 | स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता | 636.49 | 665.89 |
| | राजस्व पूंजीगत | 2369.54 | 2184.43 |
| 24 | राजस्व पूंजीगत | 2145.54 | 2084.89 |
| | राजस्व पूंजीगत | 224.00 | 99.54 |
| 24 | राजस्व पूंजीगत | 51969.95 | 46821.51 |
| | राजस्व पूंजीगत | 51969.95 | 46821.51 |
| | | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 25 | उच्चतर शिक्षा | 36031.57 | 33530.91 |
| | राजस्व | 36016.86 | 33518.89 |
| | पूँजीगत | 14.71 | 12.02 |
| 26 | इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी | 9581.25 | 8118.65 |
| | राजस्व | 9174.25 | 7766.88 |
| | पूँजीगत | 407.00 | 351.77 |
| 27 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | 2520.00 | 2432.68 |
| | राजस्व | 2471.49 | 2402.25 |
| | पूँजीगत | 48.51 | 30.43 |
| 28 | विदेश | 16000.00 | 14145.61 |
| | राजस्व | 14919.41 | 13277.35 |
| | पूँजीगत | 1080.59 | 868.26 |
| 29 | आर्थिक कार्य | 15616.10 | 12268.16 |
| | राजस्व | 5090.52 | 4536.91 |
| | पूँजीगत | 10525.58 | 7731.25 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 30 | व्यय | 459.57 | 370.85 |
| | राजस्व | 459.57 | 370.85 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 31 | वित्तीय सेवाएं | 35071.87 | 44009.98 |
| | राजस्व | 3037.87 | 7375.98 |
| | पूँजीगत | 32034.00 | 36634.00 |
| 32 | निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन | 96.88 | 86.55 |
| | राजस्व | 96.88 | 86.55 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 33 | राजस्व | 111905.44 | 111862.86 |
| | राजस्व | 111893.77 | 111859.20 |
| | पूँजीगत | 11.67 | 3.66 |
| 34 | प्रत्यक्ष कर – सीबीडीटी | 8506.89 | 7693.94 |
| | राजस्व | 8206.89 | 7478.68 |
| | पूँजीगत | 300.00 | 215.26 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 35 | अप्रत्यक्ष कर - सीबीआईसी | 74938.49 | 57586.69 |
| | राजस्व | 73960.49 | 56907.40 |
| | पूंजीगत | 978.00 | 679.29 |
| 36 | भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा | 5104.64 | 5037.52 |
| | राजस्व | 5049.69 | 5022.72 |
| | पूंजीगत | 54.95 | 14.80 |
| 37 | वित्त-ब्याज अदायगियां (विनियोग) | 813791.00 | 805499.14 |
| | राजस्व | 813791.00 | 805499.14 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 38 | वित्त-ऋण की पुनर्भदायगी | 0.00 | 0.00 |
| | राजस्व | 0.00 | 0.00 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 39 | पेंशन | 63005.12 | 64592.45 |
| | राजस्व | 63005.12 | 64592.45 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 40 | वित्त-राज्यों का अंतरण | 285394.23 | 274579.79 |
| | राजस्व | 264578.15 | 252046.02 |
| | पूँजीगत | 20816.08 | 22533.77 |
| 41 | मत्स्यपालन | 1407.29 | 1358.61 |
| | राजस्व | 1389.54 | 1347.44 |
| | पूँजीगत | 17.75 | 11.17 |
| 42 | पशुपालन और डेयरी | 2713.75 | 2584.47 |
| | राजस्व | 2700.17 | 2582.26 |
| | पूँजीगत | 13.58 | 2.21 |
| 43 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 1304.12 | 1146.40 |
| | राजस्व | 1304.12 | 1146.40 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 44 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 82920.65 | 81779.85 |
| | राजस्व | 79107.61 | 78651.54 |
| | पूँजीगत | 3813.04 | 3128.31 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 45 | स्वास्थ्य अनुसंधान | 3080.00 | 2690.61 |
| | राजस्व | 3080.00 | 2690.61 |
| | पूजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 46 | भारती उद्योग | 1181.00 | 1167.57 |
| | राजस्व | 1053.95 | 1040.52 |
| | पूजीगत | 127.05 | 127.05 |
| 47 | लोक उद्यम | 177.00 | 23.27 |
| | राजस्व | 27.00 | 23.27 |
| | पूजीगत | 150.00 | 0.00 |
| 48 | गृह मंत्रालय | 4558.61 | 4359.79 |
| | राजस्व | 4237.96 | 4079.39 |
| | पूजीगत | 320.65 | 280.40 |
| 49 | गृह - मंत्रिमंडल | 1725.00 | 1318.79 |
| | राजस्व | 1588.00 | 1306.13 |
| | पूजीगत | 137.00 | 12.66 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 50 | गृह - पुलिस | 109266.30 | 106622.38 |
| | राजस्व | 101369.11 | 99413.78 |
| | पूँजीगत | 7897.19 | 7208.60 |
| 51 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5923.64 | 5717.62 |
| | राजस्व | 5411.55 | 5297.77 |
| | पूँजीगत | 512.09 | 419.85 |
| 52 | चंडीगढ़ | 4428.25 | 4433.08 |
| | राजस्व | 4049.18 | 4067.77 |
| | पूँजीगत | 379.07 | 365.31 |
| 53 | दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2312.80 | 2375.34 |
| | राजस्व | 1439.76 | 1502.32 |
| | पूँजीगत | 873.04 | 873.02 |
| 54 | लदाख | 5958.00 | 5060.47 |
| | राजस्व | 2331.64 | 3204.89 |
| | पूँजीगत | 3626.36 | 1855.58 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 55 | लक्षद्वीप | 1296.26 | 1248.47 |
| | राजस्व | 1206.46 | 1182.61 |
| | पूँजीगत | 89.80 | 65.86 |
| 56 | दिल्ली को अंतरण | 1030.01 | 1029.43 |
| | राजस्व | 1030.01 | 1029.43 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 57 | जम्मू और कश्मीर और अंतरण | 34704.46 | 34746.18 |
| | राजस्व | 34704.46 | 34746.18 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 58 | पुदुचेरी को अंतरण | 1879.79 | 1879.77 |
| | राजस्व | 1879.78 | 1879.77 |
| | पूँजीगत | 0.01 | 0.00 |
| 59 | आवासन और शहरी कार्य | 73850.26 | 106840.46 |
| | राजस्व | 47893.76 | 80894.44 |
| | पूँजीगत | 25956.50 | 25946.02 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 60 | सूचना और प्रसारण | 3764.69 | 3724.20 |
| | राजस्व | 3743.59 | 3703.11 |
| | पूंजीगत | 21.10 | 21.09 |
| 61 | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण | 18008.70 | 17215.16 |
| | राजस्व | 17806.07 | 17031.53 |
| | पूंजीगत | 202.63 | 183.63 |
| 62 | पेयजल और स्वच्छता | 51036.90 | 66251.68 |
| | राजस्व | 51036.90 | 66251.68 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 63 | श्रम और रोजगार | 14248.72 | 24033.92 |
| | राजस्व | 14224.52 | 24010.59 |
| | पूंजीगत | 24.20 | 23.33 |
| 64 | विधि और न्याय | 4211.00 | 4029.30 |
| | राजस्व | 3089.00 | 2909.68 |
| | पूंजीगत | 1122.00 | 1119.62 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|-------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 65 | निर्वाचन आयोग | 259.00 | 250.68 |
| | राजस्व | 252.00 | 248.18 |
| | पूँजीगत | 7.00 | 2.50 |
| 66 | भारत का उच्चतम न्यायालय | 350.86 | 0.00 |
| | राजस्व | 350.86 | 341.41 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 67 | सूक्ष्म, लघु और उद्यम | 15699.65 | 14980.02 |
| | राजस्व | 15335.45 | 14787.46 |
| | पूँजीगत | 364.20 | 192.56 |
| 68 | खान | 1480.00 | 4237.53 |
| | राजस्व | 1426.28 | 4184.69 |
| | पूँजीगत | 53.72 | 52.84 |
| 69 | अल्पसंख्यक कार्य | 4346.45 | 4323.62 |
| | राजस्व | 4246.45 | 4223.62 |
| | पूँजीगत | 100.00 | 100.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 70 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | 7681.80 | 6582.94 |
| | राजस्व | 5071.80 | 4006.96 |
| | पूंजीगत | 2610.00 | 2575.98 |
| 71 | पंचायती राज | 868.38 | 864.84 |
| | राजस्व | 868.38 | 864.84 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 72 | संसदीय कार्य | 65.00 | 48.79 |
| | राजस्व | 65.00 | 48.79 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 73 | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 1950.00 | 1873.28 |
| | राजस्व | 1796.40 | 1734.03 |
| | पूंजीगत | 153.60 | 139.25 |
| 74 | केन्द्रीय सतर्कता आयोग | 38.63 | 37.48 |
| | राजस्व | 38.63 | 37.48 |
| | पूंजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 75 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 8846.13 | 5753.63 |
| | राजस्व | 8448.47 | 5406.32 |
| | पूँजीगत | 397.66 | 347.31 |
| 76 | योजना | 1070.78 | 1064.13 |
| | राजस्व | 1070.01 | 1064.13 |
| | पूँजीगत | 0.77 | 0.00 |
| 77 | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय | 1585.37 | 1527.54 |
| | राजस्व | 976.57 | 913.87 |
| | पूँजीगत | 608.80 | 613.67 |
| 78 | विद्युत | 15322.00 | 21594.93 |
| | राजस्व | 14236.38 | 18768.28 |
| | पूँजीगत | 1085.62 | 2826.65 |
| 79 | राष्ट्रपति का सचिवालय | 70.00 | 67.63 |
| | राजस्व | 70.00 | 67.63 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 80 | लोक सभा | 700.45 | 596.00 |
| | राजस्व | 700.45 | 596.00 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 81 | राज्य सभा | 405.54 | 366.52 |
| | राजस्व | 405.54 | 366.52 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 82 | सचिवालय – उप-राष्ट्रपति | 7.31 | 7.04 |
| | राजस्व | 7.31 | 7.04 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 83 | संघ लोक सेवा आयोग | 316.18 | 316.16 |
| | राजस्व | 316.18 | 316.16 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 84 | रेलवे | 120056.12 | 135242.13 |
| | राजस्व | 2956.12 | 17971.60 |
| | पूँजीगत | 117100.00 | 117270.53 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 85 | सड़क परिवहन और राजमार्ग | 131149.07 | 123550.61 |
| | राजस्व | 9898.44 | 10239.01 |
| | पूँजीगत | 121250.63 | 113311.60 |
| 86 | ग्रामीण विकास | 153558.07 | 160433.46 |
| | राजस्व | 153558.07 | 160433.46 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 87 | भू-संसाधन | 1484.52 | 1209.87 |
| | राजस्व | 1484.52 | 1209.87 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 88 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | | |
| | राजस्व | 5240.00 | 5140.26 |
| | पूँजीगत | 5170.80 | 5082.79 |
| 89 | जैव प्रौद्योगिकी | 2961.00 | 2850.73 |
| | राजस्व | 2961.00 | 2850.73 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 90 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान | 5297.72 | 5122.99 |
| | राजस्व | 5285.57 | 5112.35 |
| | पूँजीगत | 12.15 | 10.64 |
| 91 | कौशल विकास एवं उद्यमिता | 2785.23 | 2121.15 |
| | राजस्व | 2701.53 | 2029.18 |
| | पूँजीगत | 83.70 | 91.97 |
| 92 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 10180.00 | 7435.22 |
| | राजस्व | 10085.00 | 7340.22 |
| | पूँजीगत | 95.00 | 95.00 |
| 93 | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 1044.31 | 1007.15 |
| | राजस्व | 1044.31 | 1007.15 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 94 | अंतरिक्ष | 12642.00 | 12473.84 |
| | राजस्व | 5720.46 | 5571.98 |
| | पूँजीगत | 6921.54 | 6901.86 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 95 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | 3737.00 | 2689.00 |
| | राजस्व | 3721.17 | 2680.49 |
| | पूँजीगत | 15.83 | 8.51 |
| 96 | इस्पात | 43.00 | 40.15 |
| | राजस्व | 43.00 | 40.15 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 97 | वस्त्र | 11449.32 | 11059.80 |
| | राजस्व | 11408.81 | 10948.46 |
| | पूँजीगत | 40.51 | 111.34 |
| 98 | पर्यटन | 969.80 | 782.01 |
| | राजस्व | 969.80 | 782.01 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |
| 99 | जनजातीय कार्य | 6181.30 | 6173.97 |
| | राजस्व | 6181.30 | 6173.97 |
| | पूँजीगत | 0.00 | 0.00 |

| अनुदान संख्या | मंत्रालय / विभाग | कुल | |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------|
| | | संशोधित प्राक्कलन | वास्तविक |
| 100 | महिला एवं बाल विकास | 23200.00 | 21654.57 |
| | राजस्व | 23198.00 | 21654.57 |
| | पूंजीगत | 2.00 | 0.00 |
| 101 | युवा कार्यक्रम और खेल | 2757.02 | 2250.20 |
| | राजस्व | 2754.52 | 2249.70 |
| | पूंजीगत | 2.50 | 0.50 |
| | केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग | | |
| | कुल | 3769999.73 | 3793800.61 |
| | राजस्व | 3167288.43 | 3200926.28 |
| | पूंजीगत | 602711.30 | 592874.33 |

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्यौरा

| वर्ष | राशि |
|--------------------------|-------------|
| मार्च, 2023 तक परिपक्वता | 3,04,131.79 |
| 2023-2024 में परिपक्वता | 4,51,467.11 |
| 2024-2025 में परिपक्वता | 4,07,769.71 |
| 2025-2026 में परिपक्वता | 5,33,497.05 |
| 2026-2027 में परिपक्वता | 5,95,847.88 |
| 2027-2028 में परिपक्वता | 3,46,593.05 |
| 2028-2029 में परिपक्वता | 4,07,339.37 |
| 2029-2030 में परिपक्वता | 3,57,962.31 |
| 2030-2031 में परिपक्वता | 7,24,052.19 |
| 2031-2032 में परिपक्वता | 5,05,000.34 |
| 2032-2033 में परिपक्वता | 2,29,956.53 |
| 2033-2034 में परिपक्वता | 4,67,508.03 |
| 2034-2035 में परिपक्वता | 3,88,251.18 |
| 2035-2036 में परिपक्वता | 4,79,674.67 |
| 2036-2037 में परिपक्वता | 64,000.00 |
| 2038-2039 में परिपक्वता | 10,000.00 |
| 2039-2040 में परिपक्वता | 41,150.90 |
| 2040-2041 में परिपक्वता | 90,000.00 |

| वर्ष | राशि |
|-------------------------|--------------|
| 2041-2042 में परिपक्वता | 90,000.00 |
| 2042-2043 में परिपक्वता | 1,04,529.44 |
| 2043-2044 में परिपक्वता | 1,16,472.28 |
| 2044-2045 में परिपक्वता | 97,000.00 |
| 2045-2046 में परिपक्वता | 98,000.00 |
| 2046-2047 में परिपक्वता | 1,00,000.00 |
| 2049-2050 में परिपक्वता | 84,000.00 |
| 2050-2051 में परिपक्वता | 2,48,960.69 |
| 2051-2052 में परिपक्वता | 1,05,525.00 |
| 2055-2056 में परिपक्वता | 1,00,000.00 |
| 2059-2060 में परिपक्वता | 83,461.95 |
| 2060-2061 में परिपक्वता | 3,46,557.40 |
| 2061-2062 में परिपक्वता | 48,000.00 |
| कुल | 80,26,708.87 |

परिशिष्ट-10
वर्ष 2021-22 के लिए 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बचत वाले अनुदान / विनियोग
(₹ करोड़ में)

खेले के नजर में

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|----|--|--------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 1 | कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृत | 1,22,961.62 | | 1,14,827.54 | | 8,134.08 | |
| 3 | परमाणु ऊर्जा स्वीकृत | 16,391.22 | | 14,972.59 | | 1,418.63 | |
| 4 | आयुष मंत्रालय स्वीकृत | 2,970.35 | | 2,538.42 | | 431.93 | |
| 6 | उर्वरक विभाग स्वीकृत | | 444.62 | | 81.56 | | 363.06 |
| 8 | नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत | 5,497.45 | | 4,991.21 | | 506.25 | |
| 10 | वाणिज्य विभाग स्वीकृत | 6,820.06 | | 6,563.09 | | 256.97 | |
| 13 | दूरसंचार विभाग स्वीकृत | 41,803.45 | 31,133.57 | 36,771.84 | 6,397.74 | 5,031.61 | 24,735.83 |
| 14 | उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत | 3,191.55 | | 2,244.16 | | 947.39 | |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत | 3,02,153.61 | 52,725.97 | 3,01,730.93 | 2,630.40 | 422.68 | 50,095.57 |

| अनुदान या विनियोग का नाम | | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 18 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) स्वीकृत | 30,557.20 | | 30,091.34 | | 465.86 | |
| 23 | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत | | 224.01 | | 99.54 | 124.47 | |
| 24 | स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत | 1,03,673.71 | | 81,611.54 | | 22,062.17 | |
| 25 | उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत | 65,325.24 | | 37,570.37 | | 27,754.87 | |
| 26 | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत | 9,274.72 | | 7,904.50 | | 1,370.22 | |
| 27 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृत | 3,014.14 | | 2,588.10 | | 426.04 | |
| 28 | विदेश मंत्रालय स्वीकृत | 17,033.96 | 1,490.76 | 13,305.01 | 868.69 | 3,728.95 | 622.07 |
| 29 | आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत | 5,719.01 | 97,542.09 | 5,165.82 | 42,568.24 | 553.19 | 54,973.85 |
| 31 | वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत | 13,084.69 | 74,118.01 | 12,528.66 | 62,865.24 | 556.03 | 11,252.77 |
| 33 | राजस्व विभाग स्वीकृत | 2,09,793.73 | | 2,09,652.68 | | 141.05 | |
| 34 | प्रत्यक्ष कर | | | | | | |

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|----|--|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 35 | स्वीकृत अप्रत्यक्ष कर | 8,206.89 | 352.05 | 7,484.95 | 215.47 | 721.94 | 136.58 |
| 37 | स्वीकृत विनियोग-ब्याज अदायगियाँ | 74,029.43 | 878.00 | 56,913.24 | 679.29 | 17,116.19 | 198.71 |
| 38 | प्रभारित विनियोग - ऋण की पुनर्अदायगी | 8,47,195.79 | | 8,28,259.85 | | 18,935.94 | |
| 40 | प्रभारित राज्यों को अंतरण | | 69,44,151.48 | | | | 2,98,683.08 |
| 42 | स्वीकृत पशुपालन और डेयरी विभाग | 2,20,843.01 | 46,950.00 | 2,07,434.75 | 23,083.13 | 13,408.26 | 23,866.87 |
| 43 | स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 80,328.99 | 1,74,000.01 | 56,871.27 | 1,73,185.78 | 23,457.72 | 814.23 |
| 44 | स्वीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 3,565.64 | | 3,006.47 | | 559.17 | |
| 45 | स्वीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 1,308.69 | | 1,147.39 | | 161.30 | |
| 47 | स्वीकृत लोक उद्यम विभाग | 1,30,689.55 | 5,401.29 | 91,324.06 | 4,940.60 | 39,365.49 | 460.69 |
| 48 | स्वीकृत गृह मंत्रालय | 3,189.29 | 150.00 | 2,690.61 | | 498.68 | 150.00 |

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|----|--|--------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 49 | स्वीकृत मंत्रिमंडल | 7,333.40 | | 4,085.27 | | 3,248.13 | |
| 50 | स्वीकृत पुलिस | 1,961.05 | 137.00 | 1,309.65 | 12.66 | 651.40 | 124.34 |
| 51 | स्वीकृत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रभारित | 1,02,349.38 | 9,721.75 | 1,00,708.05 | 7,325.11 | 1,641.33 | 2,396.64 |
| 52 | स्वीकृत चंडीगढ़ | 5,463.60 | 666.34 | 5,345.34 | 419.99 | 118.26 | 246.35 |
| 54 | स्वीकृत लद्दाख | | 508.52 | | 358.68 | | 149.84 |
| 55 | स्वीकृत लक्षद्वीप | 3,597.43 | 3,626.38 | 3,205.08 | 1,855.58 | 392.35 | 1,770.80 |
| 59 | स्वीकृत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | | 229.10 | | 65.88 | | 163.22 |
| 60 | स्वीकृत सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 81,219.85 | | 80,940.43 | | 279.42 | |
| 61 | स्वीकृत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय | 4,058.61 | 21.10 | 3,707.90 | 21.09 | 350.71 | |
| | स्वीकृत | 17,593.11 | 344.81 | 17,138.41 | 195.11 | 454.70 | 149.70 |

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|----|--|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 62 | पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वीकृत | 1,28,024.46 | | 1,09,478.53 | | 18,545.93 | |
| 63 | श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत | 24,481.34 | | 24,013.00 | | 468.34 | |
| 64 | विधि और न्याय स्वीकृत | 3,281.08 | | 3,044.37 | | 236.71 | |
| 67 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत | 15,329.71 | 370.00 | 14,967.90 | 192.56 | 361.81 | 177.44 |
| 69 | अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत | 4,657.77 | | 4,225.24 | | 432.53 | |
| 70 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत | 5,743.01 | | 4,216.41 | | 1,526.60 | |
| 73 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय स्वीकृत | 1,829.99 | | 1,722.44 | | 107.55 | |
| 75 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत | 16,216.80 | | 5,406.33 | | 10,810.47 | |
| 77 | पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वीकृत | 1,859.39 | | 1,324.35 | | 535.04 | |
| 78 | विद्युत मंत्रालय स्वीकृत | 20,093.08 | 4,458.31 | 19,423.77 | 3,894.11 | 669.31 | 564.20 |
| 79 | विनियोग दृ राष्ट्रपति का कर्मचारी वृंद, गृह और भत्ते | | | | | | |

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान / विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|----|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 80 | लोक सभा स्वीकृत | 854.01 | | 595.85 | | 258.16 | |
| 85 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत | 20,164.63 | 2,28,743.20 | 20,004.31 | 2,18,094.51 | 160.32 | 10,648.69 |
| 86 | ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत | 2,90,726.11 | | 2,88,446.44 | | 2,279.67 | |
| 87 | भू-संसाधन विभाग स्वीकृत | 2,170.46 | | 1,437.68 | | 732.78 | |
| 88 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत | 5,949.60 | | 5,088.83 | | 860.77 | |
| 89 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत | 3,502.39 | | 2,851.14 | | 651.25 | |
| 90 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्वीकृत | 5,285.57 | | 5,130.43 | | 155.14 | |
| 91 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत | 2,711.56 | | 2,033.18 | | 678.38 | |
| 92 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वीकृत | 10,297.15 | 370.00 | 7,431.29 | 95.00 | 2,865.86 | 275.00 |
| 93 | दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वीकृत | 1,171.78 | | 1,009.45 | | 162.33 | |
| 94 | अंतरिक्ष विभाग | | | | | | |

| | अनुदान या विनियोग का नाम | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | |
|-----|--|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 95 | स्वीकृत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 5,719.89 | 8,228.26 | 5,584.91 | 6,908.29 | 134.98 | 1,319.97 |
| 97 | स्वीकृत वस्त्र मंत्रालय | 3,721.17 | | 2,683.32 | | 1,037.85 | |
| 98 | स्वीकृत पर्यटन मंत्रालय | 11,398.84 | | 11,059.57 | | 339.27 | |
| 99 | स्वीकृत जनजातीय कार्य मंत्रालय | 2,032.06 | | 803.88 | | 1,228.18 | |
| 100 | प्रभारित स्वीकृत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 4,708.33 | | 3,915.03 | | 793.30 | |
| 101 | स्वीकृत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय | 2,816.55 | | 2,260.68 | | 555.87 | |
| | | 24,930.03 | | 21,783.56 | | 3,146.47 | |
| | | 2,754.52 | | 2,376.46 | | 378.06 | |

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखा सारांश

(रुपए हजार में)

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | व्यय | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए में) | |
|--|------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--|----------------|
| | राजस्व | पूजीगत | राजस्व | पूजीगत | राजस्व | पूजीगत | राजस्व | पूजीगत |
| 1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृत | 122961.62.00 | 56,00.00 | 114827.53.82 | 12,88.97 | 8134.08.18 | 43,11.03 | | |
| 2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत | 8513.64.00 | .. | 8439.94.43 | .. | 73.69.57 | .. | | |
| 3 परमाणु ऊर्जा प्रमारित | 1,00.00 | .. | 1.24 | .. | 98.76 | .. | | |
| स्वीकृत | 16391.22.00 | 16707.75.00 | 14972.59.42 | 16638.30.91 | 1418.62.58 | 69,44.09 | | |
| 4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुश्) | 2970.35.00 | .. | 2538.41.68 | .. | 431.93.32 | .. | | |
| स्वीकृत | 229.65.00 | 3.50.00 | 206.11.05 | 2.17.00 | 23.53.95 | 1.33.00 | | |
| 5 रसायन और पेट्रोसायन विभाग स्वीकृत | 157291.93.00 | 444.62.00 | 157785.30.93 | 81,56.00 | .. | 363,06.00 | 493.37.93 | (49337.93,293) |
| 6 उर्वरक विभाग स्वीकृत | 1758.20.00 | 148.12.00 | 1713.04.83 | 145.09.00 | 45.15.17 | 3.03.00 | | |
| 7 औषध विभाग स्वीकृत | 5497.45.00 | 66927.01.00 | 4991.20.50 | 66926.99.99 | 506.24.50 | 1.01 | | |
| 8 नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत | 644.11.00 | .. | 573.68.43 | .. | 70.42.57 | .. | | |
| 9 कोयला मंत्रालय स्वीकृत | 1.35.00 | .. | 1.16.68 | .. | 18.32 | .. | | |
| 10 वाणिज्य विभाग प्रमारित | 6820.06.00 | 867.01.00 | 6563.08.81 | 787.00.00 | 256.97.19 | 80,01.00 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |

लेखे एक नजर में

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/ विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्वीकृत | 6696.45.00 | 1685.58.00 | 6618.06.86 | 1685.57.32 | 78.38.14 | 68 | | |
| 13 दूरसंचार विभाग स्वीकृत | 41803.45.00 | 31133.57.00 | 36771.84.18 | 6397.73.73 | 5031.60.82 | 24735.83.27 | | |
| 14 उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत | 3191.55.00 | 46.05.00 | 2244.16.31 | 18.52.60 | 947.38.69 | 27.52.40 | | |
| 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत | 302153.61.00 | 52725.97.00 | 301730.92.60 | 2630.39.90 | 422.68.40 | 50095.57.10 | | |
| 16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत | 686.13.00 | 51.00.00 | 609.78.38 | 40.18.28 | 76.34.62 | 10.81.72 | | |
| 17 संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत | 2609.27.00 | 78.78.00 | 2520.02.54 | 39.38.84 | 89.24.46 | 39.39.16 | | |
| 18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) प्रमारित | 2.22.00 | 50.00.00 | 2.25.17 | 8.17.20 | | 41.82.80 | 3.17 | (3,16,544) |
| 21 रक्षा पेंशन स्वीकृत | 30557.20.00 | 10473.04.00 | 30091.34.43 | 10380.72.87 | 465.85.57 | 92.31.13 | | |
| 22 पूर्णतर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत | 8.27.00 | | 3.73.75 | | 4.53.25 | | | |
| 23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत | 116870.23.00 | | 116869.63.42 | | 0.59.58 | | | |
| 24 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत | 2031.53.00 | 692.17.00 | 1991.57.65 | 670.89.20 | 39.95.35 | 21.27.80 | | |
| 25 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत | 2150.11.00 | 224.01.00 | 2094.85.55 | 99.53.59 | 55.25.45 | 124.47.41 | | |
| | 103673.71.00 | | 81611.53.80 | | 22062.17.20 | | | |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/ विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 26 स्वीकृत श्लेषद्वैतिका और सूचना औद्योगिकी मंत्रालय | 63225.24.00 | 25.50.00 | 37570.36.54 | 12.02.23 | 27754.87.46 | 13.47.77 | | |
| 27 स्वीकृत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 9274.72.00 | 446.01.00 | 7904.50.06 | 351.76.90 | 1370.21.94 | 94.24.10 | | |
| 28 स्वीकृत विदेश मंत्रालय | 3014.14.00 | 122.48.00 | 2588.09.80 | 30.43.21 | 426.04.20 | 92.04.79 | | |
| 29 स्वीकृत आर्थिक कार्य विभाग | 17033.96.00 | 3.00 | 13305.00.86 | 868.69.27 | 3728.95.14 | 622.06.73 | | |
| 30 स्वीकृत व्यय विभाग | 5719.01.00 | 97542.09.00 | 5165.82.31 | 42568.24.41 | 553.18.69 | 54973.84.59 | | |
| 31 स्वीकृत वित्तीय सेवाएं विभाग | 459.01.00 | | 371.14.77 | | 87.86.23 | | | |
| 32 स्वीकृत निवेश और लोक परिस्मृति प्रबंधन (डीपम) विभाग | 13084.69.00 | 74118.01.00 | 12528.65.62 | 62865.24.00 | 556.03.38 | 11252.77.00 | | |
| 33 स्वीकृत राजस्व विभाग | 110.52.00 | | 86.55.28 | | 23.96.72 | | | |
| 34 स्वीकृत प्रमाणित | 209793.73.00 | 13.03.00 | 209652.68.02 | 3.66.32 | 141.04.98 | 9.36.68 | | |
| 35 स्वीकृत अप्रत्याक्ष कर | 8206.89.00 | 352.05.00 | 7484.94.61 | 215.47.00 | 721.94.39 | 136.58.00 | | |
| 36 स्वीकृत प्रमाणित | 74029.43.00 | 878.00.00 | 56913.23.86 | 679.28.75 | 17116.19.14 | 198.71.25 | | |
| | 200.00.00 | | 192.90.37 | | 7.09.63 | | | |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/ विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 37 स्वीकृत विनियोग-ब्याज अदायगियां | 5209,97.00 | 54,95.00 | 5159,15.47 | 14,79.75 | 50,81.53 | 40,15.25 | | |
| 38 प्रभारित विनियोग-ऋण की पुनर्भदावगी | 847195,79.00 | .. | 828259,84.57 | .. | 18935,94.43 | .. | | |
| 39 प्रभारित पेंशन | .. | 6944151,48.00 | .. | 6645468,39.86 | .. | 298683,08.14 | | |
| 40 प्रभारित स्वीकृत राज्यों को अंतरण | 400,00.00 | .. | 337,19.07 | .. | 62,80.93 | .. | | |
| 41 प्रभारित स्वीकृत मत्स्यपालन विभाग | 63605,12.00 | .. | 64347,68.55 | .. | .. | .. | 742,56.55 (74256,55,188) | |
| 42 प्रभारित स्वीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 220843,01.00 | 46950,00.00 | 207434,74.69 | 23083,12.83 | 13408,26.31 | 23866,87.17 | | |
| 43 प्रभारित स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 80328,99.00 | 174000,01.00 | 56871,27.39 | 173185,77.77 | 23457,71.61 | 814,23.23 | | |
| 44 प्रभारित स्वीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 1389,56.00 | 28,68.00 | 1348,96.96 | 11,16.74 | 40,59.04 | 17,51.26 | | |
| 45 प्रभारित स्वीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 3565,64.00 | 44,39.00 | 3006,46.75 | 2,20.72 | 559,17.25 | 42,18.28 | | |
| 46 प्रभारित स्वीकृत भारी उद्योग विभाग | 1308,69.00 | .. | 1147,39.07 | .. | 161,29.93 | .. | | |
| 47 प्रभारित स्वीकृत लोक उद्यम विभाग | 130689,55.00 | 5401,29.00 | 91324,06.22 | 4940,59.72 | 39365,48.78 | 460,69.28 | | |
| 48 प्रभारित स्वीकृत गृह मंत्रालय | 3189,29.00 | .. | 2690,60.63 | .. | 498,68.37 | .. | | |
| | 1113,57.00 | 177,49.00 | 1050,93.01 | 127,04.99 | 62,63.99 | 50,44.01 | | |
| | 27,00.00 | 150,00.00 | 23,29.88 | .. | 3,70.12 | 150,00.00 | | |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/ विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 49 | 3.00 7333,40.00 | 3.00 357,65.00 | 4085,27,34 | 280,40,22 | 3,00 3248,12,66 | 777,24,78 | .. | .. |
| 50 | 1961,05.00 | 137,00.00 | 1309,64,97 | 12,65,67 | 651,40,03 | 124,34,33 | .. | .. |
| 51 | 11,12.00 102349,38.00 | 9,92.00 9721,75.00 | 608,29 100708,05,20 | 4,57,63 7325,11,22 | 5,03,71 1641,32,80 | 5,34,37 2396,63,78 | .. | .. |
| 52 | 1.00 5463,60.00 | 1.00 666,34.00 | 99 5345,33,96 | 419,98,57 | 1 118,26,04 | 246,35,43 | .. | .. |
| 53 | 37,56.00 4530,20.00 | 110,00.00 508,52.00 | 27,36,27 4444,2,5,54 | 110,00,00 358,67,82 | 10,19,73 85,94,46 | 149,84,18 | .. | .. |
| 54 | 2798,81.00 | 873,07.00 | 2798,65,82 | 873,02,28 | 15,18 | 4,72 | .. | .. |
| 55 | 3597,43.00 | 362,63,80.00 | 3205,08,37 | 1855,57,74 | 392,34,63 | 1770,80,26 | .. | .. |
| 56 | 1238,22.00 | 229,10.00 | 1209,44,70 | 65,87,73 | 28,77,30 | 163,22,27 | .. | .. |
| 57 | 1030,00.00 | 1.00 | 1029,42,54 | .. | 57,46 | 1,00 | .. | .. |
| 58 | 34746,18.00 | .. | 34746,18,00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 59 | 1879,78.00 | 1.00 | 1879,77,00 | .. | 1,00 | 1,00 | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|---|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---|---------|
| | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 60 | 10685.00 | 35.07.00 | 9987.04 | 29,50.83 | 6,97.96 | 5,56.17 | | |
| स्वीकृत | 81219,85.00 | 25921,45.00 | 80940,42.90 | 25917,38.56 | 279,42.10 | 4,06.44 | | |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | | | | | | | |
| 61 | 4058,61.00 | 21,10.00 | 3707,89.65 | 21,09.00 | 350,71.35 | 1.00 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग | | | | | | | | |
| 62 | 17593,11.00 | 344,81.00 | 17138,40.76 | 195,10.54 | 454,70.24 | 149,70.46 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| पेयजल और स्वच्छता विभाग | | | | | | | | |
| 63 | 128024,46.00 | | 109478,52.73 | | 18545,93.27 | | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय | | | | | | | | |
| 64 | 24481,34.00 | 37,13.00 | 24013,00.31 | 23,33.29 | 468,33.69 | 13,79.71 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| विधि और न्याय | | | | | | | | |
| 65 | 3281,08.00 | 1122,00.00 | 3044,36.95 | 1119,61.61 | 236,71.05 | 2,38.39 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| निर्वाचन आयोग | | | | | | | | |
| 66 | 252,00.00 | 7,00.00 | 251,43.33 | 2,50.00 | 56.67 | 4,50.00 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय | | | | | | | | |
| 67 | 35086.00 | | 341,40.59 | | 9,45.41 | | | |
| प्रभारित | | | | | | | | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | | | | | | | | |
| 68 | 15329,71.00 | 370,00.00 | 14967,90.42 | 192,56.19 | 361,80.58 | 177,43.81 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| खान मंत्रालय | | | | | | | | |
| 69 | 4310,06.00 | 68,33.00 | 4287,00.18 | 52,84.32 | 23,05.82 | 15,48.68 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय | | | | | | | | |
| 70 | 4657,77.00 | 153,02.00 | 4225,23.58 | 100,00.00 | 432,53.42 | 53,02.00 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | | | | | | | | |
| 71 | 5743,01.00 | 2610,00.00 | 4216,41.49 | 2575,98.12 | 1526,59.51 | 34,01.88 | | |
| स्वीकृत | | | | | | | | |
| पंचायती राज मंत्रालय | | | | | | | | |
| स्वीकृत | 913,44.00 | | 864,83.66 | | 48,60.34 | | | |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपए में) | |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 72 ससदीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत | 65,07.00 | .. | 48,79.47 | .. | 16,27.53 | .. | .. | .. |
| 73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रभारित | 30,28.00 | 11,65.00 | 16,03.51 | 11,65.00 | 14,24.49 | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 182,99,99.00 | 186,73.00 | 1,72,24,44.30 | 1,27,60,14 | 1,07,54,70 | 59,12,86 | .. | .. |
| 74 विनियोग-केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रभारित | 38,67.00 | .. | 37,48.90 | .. | 1,18.10 | .. | .. | .. |
| 75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत | 1,62,16,80.00 | 4,27,00.00 | 5,40,63,32.26 | 3,47,30,66 | 1,08,10,46.74 | 79,69,34 | .. | .. |
| 76 योजना मंत्रालय स्वीकृत | 1,07,00,00.00 | 78.00 | 1,06,48,11.15 | .. | 5,19.85 | 78.00 | .. | .. |
| 77 पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वीकृत | 1,85,93,39.00 | 7,55,35.00 | 1,32,43,35.06 | 7,13,67.58 | 53,50,39.94 | 41,67.42 | .. | .. |
| 78 विद्युत मंत्रालय स्वीकृत | 2,00,93,08.00 | 4,45,83,31.00 | 1,94,23,76.99 | 3,89,41,11.15 | 6,69,31.01 | 5,64,19,85 | .. | .. |
| 79 विनियोग- राष्ट्रपति का कर्मचारी बृद, गृह और भत्ते प्रभारित | 74,47.00 | .. | 67,68.16 | .. | 6,78.84 | .. | .. | .. |
| 80 लोक सभा प्रभारित | 1,00.00 | .. | 44.96 | .. | 55.04 | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 85,40,01.00 | .. | 5,95,85,41 | .. | 2,58,15,59 | .. | .. | .. |
| 81 राज्य सभा प्रभारित | 1,21.00 | .. | 91.83 | .. | 29.17 | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 4,45,30.00 | .. | 3,65,69,15 | .. | 79,60,85 | .. | .. | .. |
| 82 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय स्वीकृत | 7,43.00 | .. | 7,04.22 | .. | 38.78 | .. | .. | .. |
| 83 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

| अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 85 | 316,18,00 | .. | 316,16,56 | .. | 1,44 | .. | .. | .. |
| प्रभारित | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रभारित | 10,00,00 | .. | .. | 5,60,08 | .. | 4,39,92 | .. | .. |
| स्वीकृत | 201,64,63,00 | 22,87,43,20,00 | 20,00,4,31,37 | 21,80,94,51,28 | 1,60,31,63 | 10,64,8,68,72 | .. | .. |
| 86 | 29,07,26,11,00 | .. | 28,84,46,43,96 | .. | 2,27,9,67,04 | .. | .. | .. |
| ग्रामीण विकास विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भू-संसाधन विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रभारित | 27,14,00 | .. | 27,14,00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 2,17,0,46,00 | .. | 1,43,7,67,69 | .. | 7,32,78,31 | .. | .. | .. |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रभारित | 2,00 | .. | .. | .. | 2,00 | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 59,49,60,00 | 1,22,00,00 | 50,88,83,38 | 57,47,27 | 8,60,76,62 | 64,52,73 | .. | .. |
| 89 | 3,50,2,39,00 | .. | 2,85,1,14,08 | .. | 6,51,24,92 | .. | .. | .. |
| जैव प्रौद्योगिकी विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 90 | 5,28,5,57,00 | 22,15,00 | 5,13,0,42,51 | 10,63,91 | 1,55,14,49 | 11,51,09 | .. | .. |
| वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 91 | 2,71,1,56,00 | 1,08,71,00 | 2,03,3,18,21 | 91,96,91 | 6,78,37,79 | 16,74,09 | .. | .. |
| कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 92 | 10,29,7,15,00 | 3,70,00,00 | 7,43,1,29,32 | 95,00,00 | 2,86,5,85,68 | 2,75,00,00 | .. | .. |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 93 | 1,17,1,78,00 | 1,00 | 1,00,9,45,41 | .. | 1,62,32,59 | 1,00 | .. | .. |
| दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 94 | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 5,81 | .. | 34,19 | .. | .. |
| अंतर्देशीय विभाग | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रभारित | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वीकृत | 5,71,9,89,00 | 8,22,8,26,00 | 5,58,4,90,74 | 6,90,8,29,18 | 1,34,9,8,26 | 1,31,9,9,8,26 | .. | .. |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

| | अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या | | अनुदान/विनियोग की राशि | | व्यय | | बचत | | अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप में) | |
|-----|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|---|---------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 96 | 3721.17.00 | 15.83.00 | 2683.31.87 | 8,51.44 | 1037,85.13 | 7,31.56 | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | इस्पताल मंत्रालय | | | | | | | | | |
| 97 | 43.01.00 | .. | 40,15.06 | .. | 2,85.94 | .. | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | वस्त्र मंत्रालय | | | | | | | | | |
| 98 | 11398.84.00 | 116.72.00 | 11059,56.54 | 111,33.94 | 339,27.46 | 5,38.06 | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | पर्यटन मंत्रालय | | | | | | | | | |
| 99 | 2032.06.00 | .. | 803,88.28 | .. | 1,228.17.72 | .. | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | जनजातीय कार्य मंत्रालय | | | | | | | | | |
| | प्रमारित | | | | | | | | | |
| | 4708.33.00 | .. | 3915,03.18 | .. | 793,29.82 | .. | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | 2816.55.00 | 2.00 | 2,260.68.22 | .. | 555,86.78 | 2.00 | | | | |
| 100 | 24930.03.00 | 5,00.00 | 21,783.56.45 | .. | 31,46.46.55 | 5,00.00 | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | | | | | | | | | |
| 101 | 2754.52.00 | 46,75.00 | 23,76.46.10 | 50.00 | 378,05.90 | 46,25.00 | | | | |
| | स्वीकृत | | | | | | | | | |
| | युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय | | | | | | | | | |
| कुल | 1074356.52.00 | 6991328.52.00 | 1041088,09.82 | 6668721,09.24 | 33268,45.35 | 322607,42.76 | | | 3.17 | |
| | | | | | | | | | (3,16,544) | |
| | 2526609,08.00 | 827490,41.00 | 23,141,86.52.88 | 66,428,6,06.32 | 21,365,8,49.60 | 1,63,204,34.68 | | | 1,23,5,94.48 | |
| | | | | | | | | | (1,23,594,48,481) | |

वर्ष 2021-22 के लिए वस्तु शीर्षवार व्यय

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|-------------|-----------------------|--------|---------|--------|
| 01 | वेतन | 230502 | 42095 | 272597 |
| 02 | दिहाड़ी | 1536 | 78 | 1614 |
| 03 | समयोपरि भत्ता | 756 | 7 | 763 |
| 04 | पेंशन प्रभार | 260768 | 104 | 260872 |
| 05 | पुरस्कार | 141 | 0 | 141 |
| 06 | चिकित्सा उपचार | 5496 | 21 | 5517 |
| 11 | घरेलू यात्रा खर्च | 5802 | 21 | 5823 |
| 12 | विदेश यात्रा खर्च | 288 | | 288 |
| 13 | कार्यालय व्यय | 11468 | 34 | 11502 |
| 14 | किराया, दर और कर | 4760 | 2 | 4762 |
| 16 | प्रकाशन | 542 | | 542 |
| 20 | अन्य प्रशासनिक खर्च | 4181 | 2 | 4183 |
| 21 | आपूर्तियां और सामग्री | 61791 | 18703 | 80494 |
| 22 | हथियार और गोला बारूद | 912 | | 912 |
| 23 | राशन की लागत | 4460 | | 4460 |
| 24 | पी.ओ.एल. | 2484 | 2 | 2486 |
| 25 | क्लोदिंग और टेन्टेज | 696 | | 696 |
| 26 | विज्ञापन और प्रचार | 1146 | 5 | 1151 |

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|-------------|--|--------|---------|---------|
| 27 | लघु कार्य | 8842 | 86 | 8928 |
| 28 | व्यावसायिक सेवाएं | 11729 | 403 | 12132 |
| 30 | अन्य संविदागत सेवाएं | 10975 | 11716 | 22691 |
| 31 | सहायता अनुदान सामान्य | 768980 | 5 | 768985 |
| 32 | अंशदान | 48358 | 1046 | 49404 |
| 33 | सहायिकी | 527877 | | 527877 |
| 34 | छात्रवृत्ति / वृत्तिका | 5387 | 2 | 5389 |
| 35 | पूंजीगत परिसम्पत्तियां बनाने के लिए अनुदान | 242646 | | 242646 |
| 36 | सहायता अनुदान वेतन | 44835 | | 44835 |
| 41 | गुप्त सेवा व्यय | 307 | | 307 |
| 42 | एकमुश्त प्रावधान | | | 0 |
| 43 | उचंत | -732 | | -732 |
| 45 | ब्याज | 832777 | | 832777 |
| 50 | अन्य प्रभार | 77645 | 47235 | 124880 |
| 51 | मोटर वाहन | 4 | 741 | 745 |
| 52 | मशीनरी और उपकरण | 35 | 9321 | 9356 |
| 53 | मुख्य कार्य | | 80059 | 80059 |
| 54 | निवेश | | 181810 | 181810 |
| 55 | ऋण तथा अग्रिम | | 231869 | 231869 |
| 56 | उधार की पुनर्भदायगी | | 6645468 | 6645468 |

| वस्तु शीर्ष | विवरण | राजस्व | पूंजीगत | कुल |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 60 | अन्य पूंजीगत व्यय | 2 | 11258 | 11260 |
| 61 | मूल्यहास | | | 0 |
| 62 | आरक्षित | 190 | | 190 |
| 63 | अंतर लेखा अंतरण | 418810 | 169069 | 587879 |
| 64 | बड़े खाते डालना/ हानियां | 1085 | | 1085 |
| 70 | घटाएं वसूलियां | -364242 | -143837 | -508079 |
| कुल | | 3233239 | 7307325 | 10540564 |
| वस्तु शीर्ष स्तर के अलावा दर्ज किया गया व्यय | | | | |
| | रेलवे | -6 | 1 | -5 |
| | रक्षा | 234956 | 137987 | 372943 |
| कुल | | 234950 | 137988 | 372938 |
| सकल जोड़ | | 3468189 | 7445313 | 10913502 |

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय

जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक-ई, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24665581, फैक्स: +91-11-24665688

वेबसाइट: www.cga.nic.in, <https://pfms.nic.in>